



मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग



जल जीवन मिशन
(हर घर जल)

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2020-21



मान. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जी द्वारा
बुरहानपुर जिले की जिला कार्य योजना का विमोचन



मान. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री एवं मान. श्री शिवराज सिंह चौहान,
मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रदेश में किए जा रहे जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा



मान. श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा
सतना जिले की पेयजल योजनाओं का शिलान्यास



मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2020-21

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	भाग – एक	
●	प्रस्तावना	3
●	विभागीय संरचना—स्थापना संबंधी विवरण	3
●	विभागीय उद्देश्य एवं कार्य	5
	भाग – दो	
●	बजट विहंगावलोकन	6
●	जेण्डर रिसर्पोसिव बजट का क्रियान्वयन	6
	भाग – तीन	
●	केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाएं	7
●	आदिवासी उपयोजना	14
●	आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में 275 (1) एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.व्ही.टी.जी.) मद के कार्य	16
●	अनुसूचित जाति उपयोजना	16
●	स्थापित हैण्डपम्प एवं नलजल योजनाएं	16
●	जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी	19
●	लोक सेवा गारंटी	19
●	गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्रोतों वाली बसाहटों की योजनाओं का विवरण	19
●	भू जल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम	20
●	विभागीय नलकूप खनन मशीनों का विवरण	22
●	राज्य जल सहायता संगठन	24
●	प्रशिक्षण कार्यक्रम	35
●	विभागीय कम्प्यूटरीकरण	35
●	नगरीय पेयजल कार्यक्रम	38
	भाग – चार	
●	मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित	40
	भाग – पाँच	
●	सामान्य प्रशासनिक विषय	44
●	सूचना का अधिकार	45
●	वर्ष 2020 में विधान सभा प्रश्नों आदि से संबंधित कार्यों का विवरण	46
	भाग— छः	
●	मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	47
●	मुख्य मंत्री ग्राम नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन	47
●	स्वजल कार्यक्रम	47
●	मुख्य मंत्री हेल्प लाइन	47
●	राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन	48
	भाग – सात	
●	विभागीय प्रकाशन से संबंधित जानकारी	56
	भाग – आठ	
●	सारांश	56



मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2020-21

मंत्री
माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान
राज्य मंत्री
माननीय श्री बृजेन्द्र सिंह यादव

मंत्रालय

●	अपर मुख्य सचिव	▶	श्री मलय श्रीवास्तव (आई.ए.एस.)
●	उप सचिव	▶	श्री राकेश कुशरे
●	उप सचिव	▶	श्री राजेश शाक्यवार
●	अवर सचिव	▶	श्री एस. के. सेन्द्रे
●	अवर सचिव	▶	श्री दिलीप कुमार जैन

विभागाध्यक्ष

●	प्रमुख अभियंता	▶	श्री के. के. सोनगरिया
●	प्रमुख अभियंता (सलाहकार)	▶	श्री सी. एस. संकुले
●	निदेशक, कार्यनीति एवं क्रियान्वयन	▶	श्री पी. के. मैदमवार
●	मुख्य अभियंता (भोपाल परिक्षेत्र)	▶	श्री एच. एस. गोंड
●	मुख्य अभियंता (इंदौर परिक्षेत्र)	▶	श्री व्ही. एस. सोलंकी
●	मुख्य अभियंता (ग्वालियर परिक्षेत्र)	▶	श्री एस. के. अंधवान
●	मुख्य अभियंता (जबलपुर परिक्षेत्र)	▶	श्री सी. के. सिंह
●	मुख्य अभियंता (वि./यां.) भोपाल	▶	श्री अशोक बघेल

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

●	प्रबंध संचालक	▶	श्री तेजस्वी एस. नायक (आई.ए.एस.)
●	परियोजना निदेशक	▶	श्री एन.पी. मालवीय



1. भाग — एक

1.1 प्रस्तावना :—

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति/मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता युक्त पेयजल प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, साथ ही समूह योजनाओं के माध्यम से शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्र की दीर्घकालिक पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत बल्क वाटर उपलब्ध कराया जाता है।

1.2 विभागीय संरचना :—

- शासन स्तरीय :—

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय में वर्तमान में अपर मुख्य सचिव, दो उप सचिव, तथा दो अवर सचिव कार्यरत हैं।

- विभाग स्तरीय :—

विभाग में विभिन्न स्तर के अभियंताओं के स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :—

● प्रमुख अभियंता	—	01 पद
● प्रमुख अभियंता (सलाहकार)	—	01 पद
● मुख्य अभियन्ता (सिविल)	—	04 पद
● निदेशक, कार्यनीति एवं क्रियान्वयन	—	01 पद
● मुख्य अभियन्ता (वि./यां.)	—	01 पद
● अधीक्षण यन्त्री (सिविल)	—	24 पद
● अधीक्षण यन्त्री (वि./यां.)	—	05 पद
● कार्यपालन यन्त्री (सिविल)	—	74 पद
● कार्यपालन यन्त्री (वि./यां.)	—	11 पद
● सहायक यन्त्री (सिविल)	—	241 पद
● सहायक यन्त्री (वि./यां.)	—	62 पद
● उपयन्त्री (सिविल)	—	974 पद
● उपयन्त्री (वि./यां.)	—	263 पद

➤ प्रदेश में विभाग के विभिन्न कार्यालयों की स्थिति

- कार्यालय प्रमुख अभियंता :—

कार्यालय प्रमुख अभियंता भोपाल में स्थित है, जिसमें विभागाध्यक्ष के रूप में प्रमुख अभियंता पदस्थ हैं। इसी कार्यालय में प्रमुख अभियन्ता (सलाहकार) तथा निदेशक, कार्यनीति एवं क्रियान्वयन का एक-एक पद स्वीकृत है।

- **परिक्षेत्र कार्यालय :-**

विभाग की मैदानी स्थापना पांच परिक्षेत्रों में विभाजित है जिनमें चार सिविल कार्यों एवं एक विद्युत/यांत्रिक कार्यों से संबंधित है। मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र कार्यालय के प्रमुख हैं। सिविल परिक्षेत्र कार्यालय क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर तथा विद्युत/यांत्रिकी परिक्षेत्र कार्यालय भोपाल में स्थित हैं। परिक्षेत्र भोपाल के अंतर्गत भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग, इंदौर परिक्षेत्र के अंतर्गत इंदौर एवं उज्जैन राजस्व संभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर, चंबल तथा सागर राजस्व संभाग एवं जबलपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत जबलपुर, रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग सम्मिलित है। सिविल संकाय के मुख्य अभियंताओं के अधीन ठेकेदारों के माध्यम से नलकूप खनन सहित अन्य सिविल कार्यों का क्रियान्वयन कराया जाता है। विद्युत यांत्रिकी संकाय के मुख्य अभियंता के अधीन प्रदेश में समस्त विभागीय ड्रिलिंग मशीनों से नलकूप खनन तथा मशीनों के रखरखाव के कार्य किये जाते हैं।

- **मंडल कार्यालय :-**

प्रदेश में संभाग स्तर पर 10 संभाग मुख्यालय सहित 13 स्थानों क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, चम्बल, पन्ना, खरगोन एवं परियोजना मण्डल छिन्दवाड़ा में मंडल कार्यालय स्थापित हैं जिनके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कार्य सम्पादित किये जाते हैं। इन मण्डल कार्यालयों द्वारा अधीनस्थ खंडों एवं उपखंडों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है। प्रत्येक मंडल कार्यालय के प्रमुख अधीक्षण यंत्री हैं।

- **खंड कार्यालय :-**

प्रदेश के सभी 52 जिलों में 55 सिविल खंड एवं 07 विद्युत यांत्रिकी खण्ड क्रमशः भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं रीवा में स्थापित है। इसके अतिरिक्त 04 परियोजना खण्ड, 07 संधारण खण्ड, एवं 01 गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खण्ड कार्यालय स्थापित हैं।

प्रदेश में सिविल संकाय के 204 एवं विद्युत यांत्रिकी संकाय के 47 उपखण्ड कार्यालय स्थापित है। प्रत्येक उपखंड कार्यालय के प्रमुख सहायक यंत्री हैं।

- मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक— एफ 16—149/2012/2/34 भोपाल दिनांक 06 जून 2012 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरीय क्षेत्रों में समूह नलजल प्रदाय योजनाओं एवं नलजल विकास व उपचार के क्रियान्वयन, संचालन/संधारण एवं समन्वय के लिए “मध्यप्रदेश जल निगम” का गठन किया गया, जिसका पंजीयन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 9 जुलाई, 2012 को “मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित” के नाम से किया गया।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन हैं। मध्यप्रदेश जल निगम का पंजीकृत कार्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थापित है। मध्यप्रदेश जल निगम में प्रबंध संचालक, पदस्थ हैं।

➤ जल परीक्षण प्रयोगशाला :—

विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु विभिन्न स्तर पर स्थापित जल परीक्षण प्रयोगशालायें निम्नानुसार हैं:—

राज्य स्तर :— प्रदेश में राज्य स्तर पर एक एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकृत राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित है। प्रयोगशाला के प्रमुख मुख्य रासायनज्ञ है। यह प्रयोगशाला गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खण्ड भोपाल के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।

जिला स्तर :— प्रदेश में 51 जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित है। प्रयोगशाला के प्रमुख रसायनज्ञ है तथा यह प्रयोगशालायें संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।

उपखण्ड स्तर :— प्रदेश में 103 उपखण्ड स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित हैं। प्रयोगशाला के प्रमुख रसायनज्ञ है तथा यह प्रयोगशालायें संबंधित उपखण्ड के सहायक यंत्री के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।

1.3 विभागीय उद्देश्य एवं कार्य :—

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग के उद्देश्य एवं किये जाने वाले कार्य का विवरण निम्नानुसार है :—

1. ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं निर्धारित मात्रा में राज्य शासन की नीति एवं निर्देशों के अनुरूप पेयजल प्रदाय हेतु नलजल योजनाओं का सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं क्रियान्वयन।
2. हैंडपंप स्थापना एवं उनके संधारण का कार्य।
3. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन।
4. जल प्रदाय योजनाओं के स्रोतों के स्थायित्व हेतु भू-जल पुनर्भरण एवं संवर्धन योजनाओं तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं का क्रियान्वयन।
5. पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की निगरानी एवं अनुश्रवण।
6. सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन।
7. जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
8. नगरीय निकायों सहित अन्य संस्थानों द्वारा चाहे जाने पर जल प्रदाय एवं मल जल निकासी योजनाओं का सर्वेक्षण, अन्वेषण, योजना प्रतिवेदन तैयार कर योजनाओं का क्रियान्वयन।

2. भाग – दो

2.1 बजट विहंगावलोकन :-

विगत 03 वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधानित राशि एवं 31.12.2020 तक व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :- (रुपये करोड़ में)

क्रमांक	विवरण		वित्तीय वर्ष					
			2018-19		2019-20		2020-21	
			प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	550.44	546.77	738.81	612.66	0.00	0.00
		जल जीवन मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	1535.00	550.31
		जल निगम	-	0.07	-	-	-	-
		योग	550.44	546.84	738.81	612.66	1535.00	550.31
2.	राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	विभाग	536.26	446.95	1227.14	346.08	366.38	217.72
		जल निगम	1324.70	1050.44	1463.00	1441.29	2166.62	1462.81
		योग	1860.96	1497.39	2690.14	1787.37	2533.00	1680.53
3.	अन्य कार्यक्रम / मद	विभाग	1380.83	1094.83	937.13	858.73	760.00	565.73
		जल निगम	-	-	-	-	-	-
		योग	1380.83	1094.83	937.13	858.73	760.00	565.73
		महायोग	3792.23	3139.06	4366.08	3258.76	4828.00	2796.57

भारत सरकार के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि का वित्तीय ढांचा मुख्य रूप से 50:50 (केन्द्रांश:राज्यांश) के अनुपात में होता है, जबकि राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित है।

2.2 "जेण्डर रिसपोसिव" बजट का क्रियान्वयन :-

वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी एवं पेयजल की योजनाओं से महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने में जेण्डर समानता की समीक्षा एवं निगरानी हेतु प्रमुख अभियन्ता कार्यालय स्तर पर "जेण्डर बजटिंग सेल" का गठन किया है। विभाग के कार्यों एवं दृष्टिकोण के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी एवं पेयजल की योजनाओं से महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, इस संबंध में सेल द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। जल जीवन मिशन के प्रारम्भ होने के उपरान्त महिलाओं व बालिकाओं को विशेष लाभ प्राप्त हो रहा है।

3. भाग – तीन

3.1 केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाएं :-

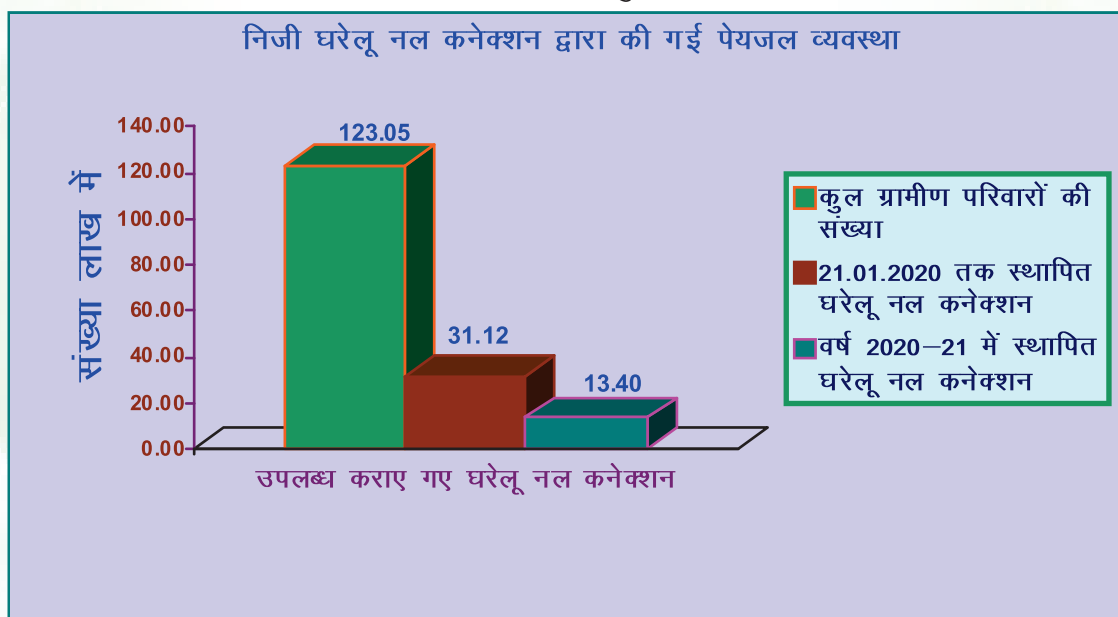
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 से प्रारम्भ किये गये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुरूप विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा था। भारत सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के गठन के उपरान्त पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन दिसम्बर 2019 में प्रारम्भ किया गया है। मिशन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित किया गया है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2020 से जल जीवन मिशन प्रारम्भ किया गया है तथा वर्ष 2023 तक पूर्णता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3.1.1 ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :-

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु प्रचालन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा-निर्देशों में प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं तथा तथा ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय ढाँचे का अनुपात 50:50 (केन्द्रांश:राज्यांश) निर्धारित है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार हैण्डपम्प योजनाओं से जलप्रदाय हेतु 55 ली. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नलजल योजनाओं के माध्यम से 70 ली. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है।

प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं भू-गर्भीय जल स्रोतों (मुख्यतः नलकूपों) पर आधारित हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा अधिकाधिक मात्रा में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल प्रदाय के आच्छादन को बढ़ाया जा सके। वर्तमान में घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल प्रदाय व्यवस्था की स्थिति निम्नानुसार है :-



3.1.2 बसाहटों में जलप्रदाय व्यवस्था के मापदण्ड :-

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु बसाहट को पूर्णतः आच्छादित श्रेणी में वर्गीकृत करने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :-

- (क) ऐसी बसाहटें जिनमें प्रत्येक परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।
- (ख) प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 300 मीटर की परिधि में सुरक्षित पेयजल स्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।
- (ग) पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 30 मीटर की ऊँचाई या निचाई पर पेयजल स्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।
- (घ) ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

3.1.3 जल जीवन मिशन का उद्देश्य :-

जल जीवन मिशन मिशन के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना।
2. गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थित गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.) में शामिल गांवों आदि में एफ.एच.टी.सी. के प्रावधान को प्राथमिकता देना।
3. स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों, अरोग्यता केन्द्रों और सामुदायिक भवनों में कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराना।
4. नल कनेक्शनों की कार्यशीलता की निगरानी करना।
5. नकद, वस्तु और/अथवा मेहनत तथा स्वैच्छिक श्रमदान के द्वारा स्थानीय समुदाय में स्वैच्छिक अपनत्व को बढ़ावा देना और उसे सुनिश्चित करना।
6. जल आपूर्ति प्रणाली अर्थात् जल स्रोत, जल आपूर्ति अवसंरचना और नियमित प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु निधियों का स्थायित्व सुनिश्चित करने में सहायता देना।
7. इस सेक्टर में मानव संसाधनों का सशक्तीकरण और उनका विकास करना ताकि निर्माण कार्य, प्लंबिंग, बिजली, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जल शोधन, जलागत संरक्षण, प्रचालन एवं रख-रखाव आदि से जुड़ी मांग को, अल्पकाल और दीर्घकाल में पूरा किया जा सके।
8. सुरक्षित पेयजल के विभिन्न पक्षों और महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और हितधारकों को इस प्रकार भागीदार बनाना कि जल, हर किसी का सरोकार बन सके।

3.1.4 जल जीवन मिशन के घटक :-

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित घटक सम्मिलित किए गए हैं :-

1. प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नलजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अंतः ग्राम पाइपलाइन जल आपूर्ति अवसंरचना का विकास करना।
2. जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालीन स्थायित्व उपलब्ध कराने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/अथवा मौजूदा स्रोतों की क्षमता को बढ़ाना।
3. जहां आवश्यक हो, वहां प्रत्येक ग्रामीण परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए थोक (बल्क) वॉटर ट्रांसफर, शोधन संयंत्र और वितरण नेटवर्क स्थापित करना।
4. जहां जल गुणवत्ता की समस्या हो, वहां संदूषणों के निवारण हेतु तकनीकी विधियों का प्रयोग करना।

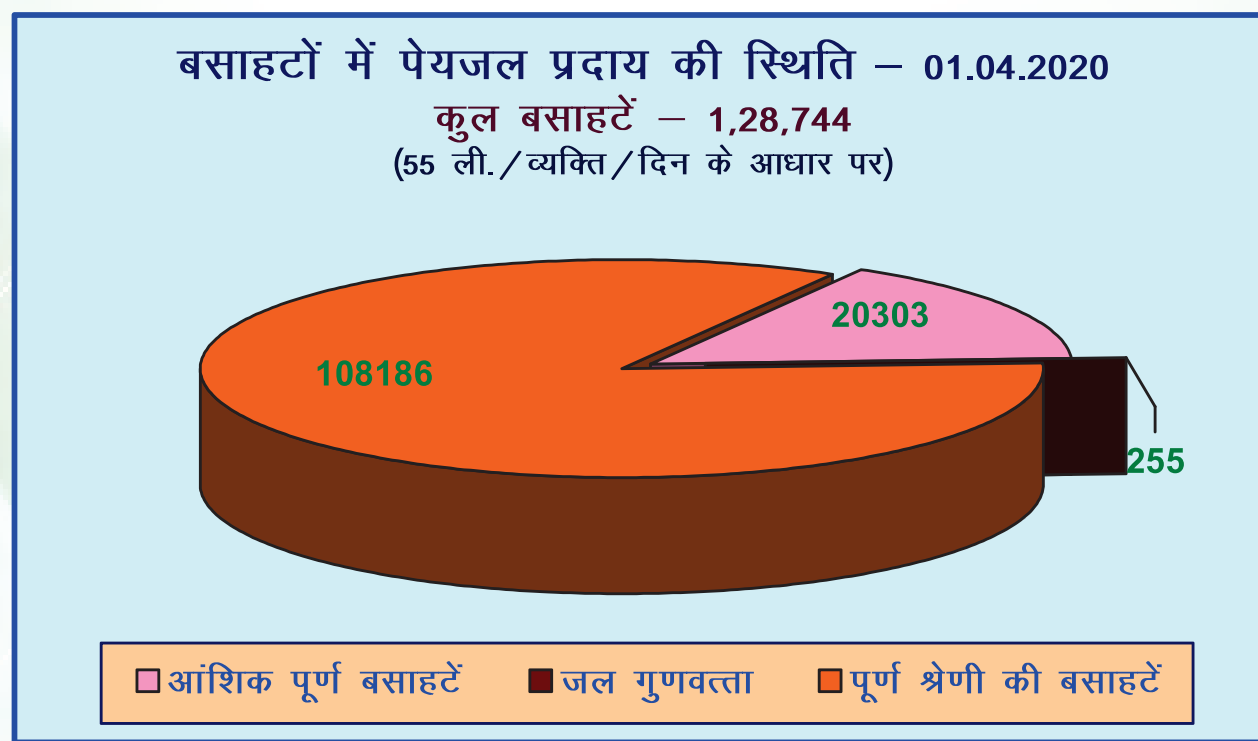
5. 55 एल.पी.सी.डी. के न्यूनतम सेवा स्तर पर एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने की दृष्टि से, पहले ही पूरी हो चुकी और चालू स्कीमों की रेट्रोफिटिंग करना।
6. गंदे जल का प्रबंधन।
7. सहायक गतिविधियां जैसे आई.ई.सी., एच.आर.डी., प्रशिक्षण, सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं, जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी, अनुसंधान और विकास, ज्ञान केन्द्र, समुदायों का क्षमता निर्माण आदि।
8. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की फ्लेक्सी निधि से जुड़े दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना के कारण उभरने वाली किन्हीं ऐसी अनदेखी चुनौतियों से निपटना, जिनसे वर्ष 2024 तक सभी परिवारों को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रभावित होता हो।

3.1.5 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की स्थिति :-

प्रदेश में विगत वर्षों में किये गये कार्यों के फलस्वरूप 01 अप्रैल, 2020 की स्थिति में कुल 128744 बसाहटों में से 108186 बसाहटें पूर्णतः आच्छादित की श्रेणी में हैं एवं 20303 बसाहटें आंशिक पूर्ण श्रेणी में हैं। पूर्णतः आच्छादित श्रेणी में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अथवा इससे अधिक के मापदण्ड तथा आंशिक पूर्ण श्रेणी में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से अधिक के मान से पेयजल प्रदाय वाली बसाहटों को रखा जाता है। आंशिक पूर्ण बसाहटों में जल गुणवत्ता से प्रभावित 255 बसाहटें भी सम्मिलित हैं। राज्य शासन की वर्तमान प्राथमिकता अनुसार पेयजल हेतु हैण्डपंपों पर निर्भरता कम करते हुए ग्रामीण आबादी को अधिक से अधिक क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना है। अतः बसाहटों के आच्छादन हेतु नलकूप आधारित योजनाओं पर निर्भरता कम करते हुये उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार सतही स्रोत आधारित समूह नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

● हैण्डपंप योजनाओं से बसाहटों का आच्छादन :-

राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 हेतु कुल 7850 आंशिक पूर्ण बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित करने के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक कुल 2354 बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित किया गया है, शेष कार्य निरंतरित हैं।



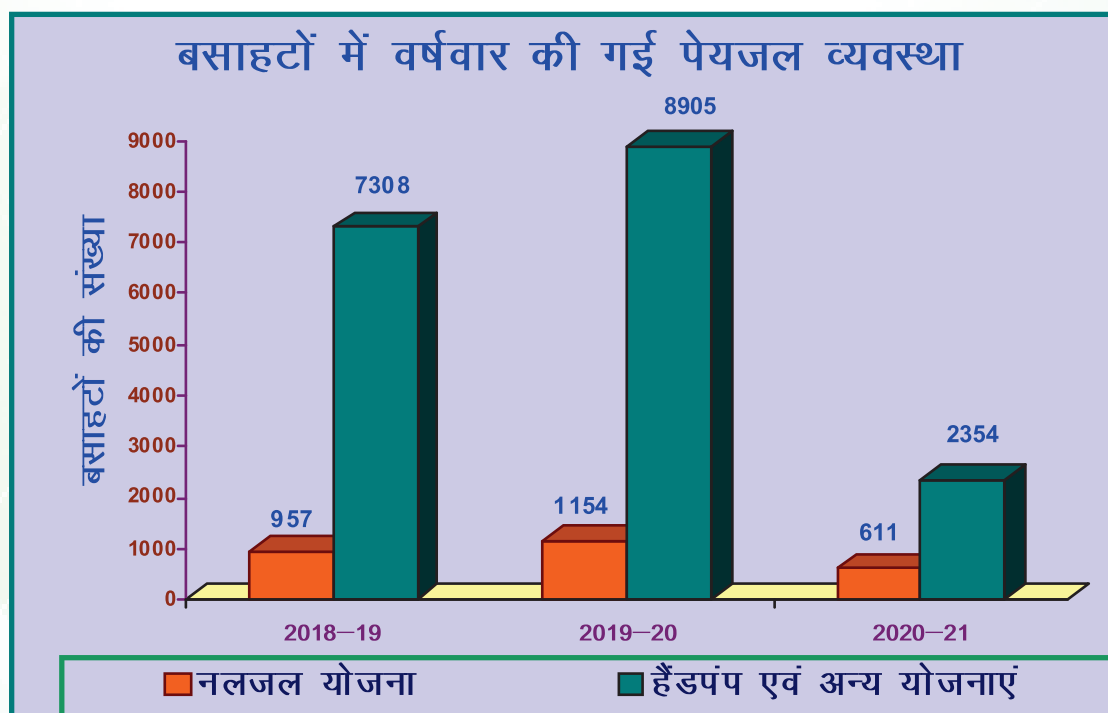
● **नलजल योजनाओं से बसाहटों का आच्छादन :-**

वर्ष 2020-21 में नलजल योजनाओं के माध्यम से माह दिसम्बर, 2020 तक कुल 611 बसाहटों को आच्छादित किया गया है। पूर्ण की गई नलजल योजनाओं से क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।



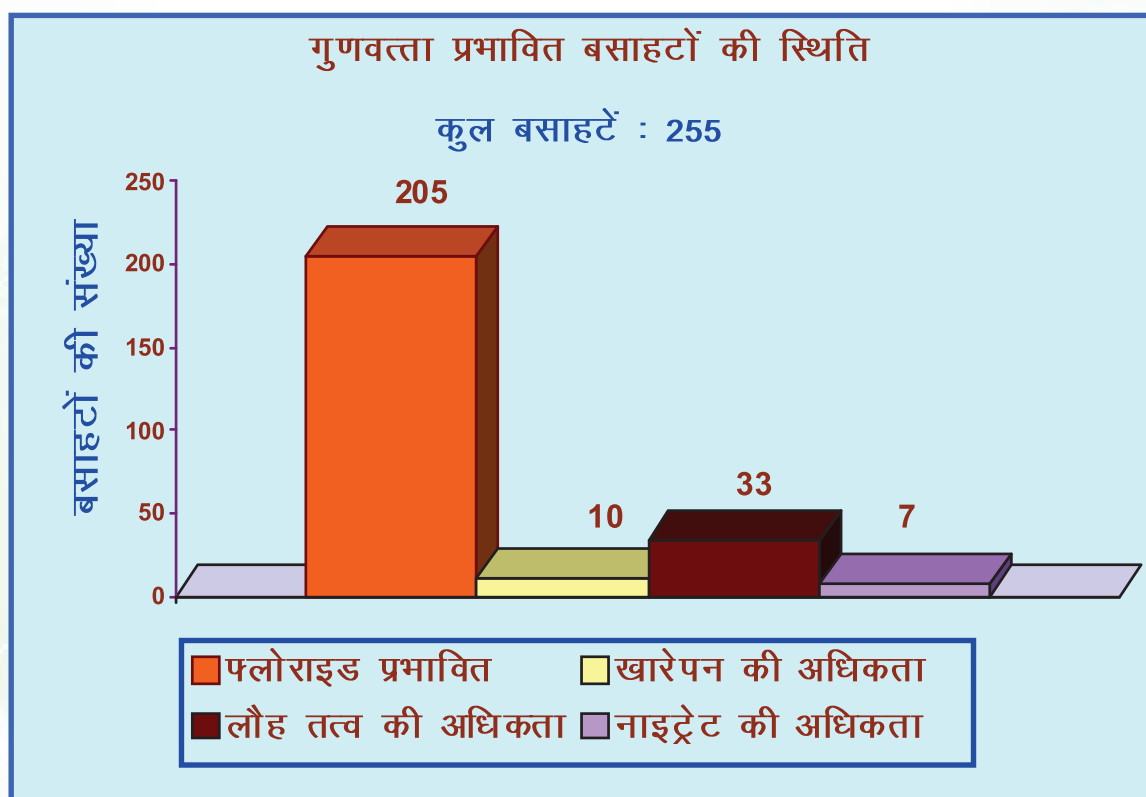
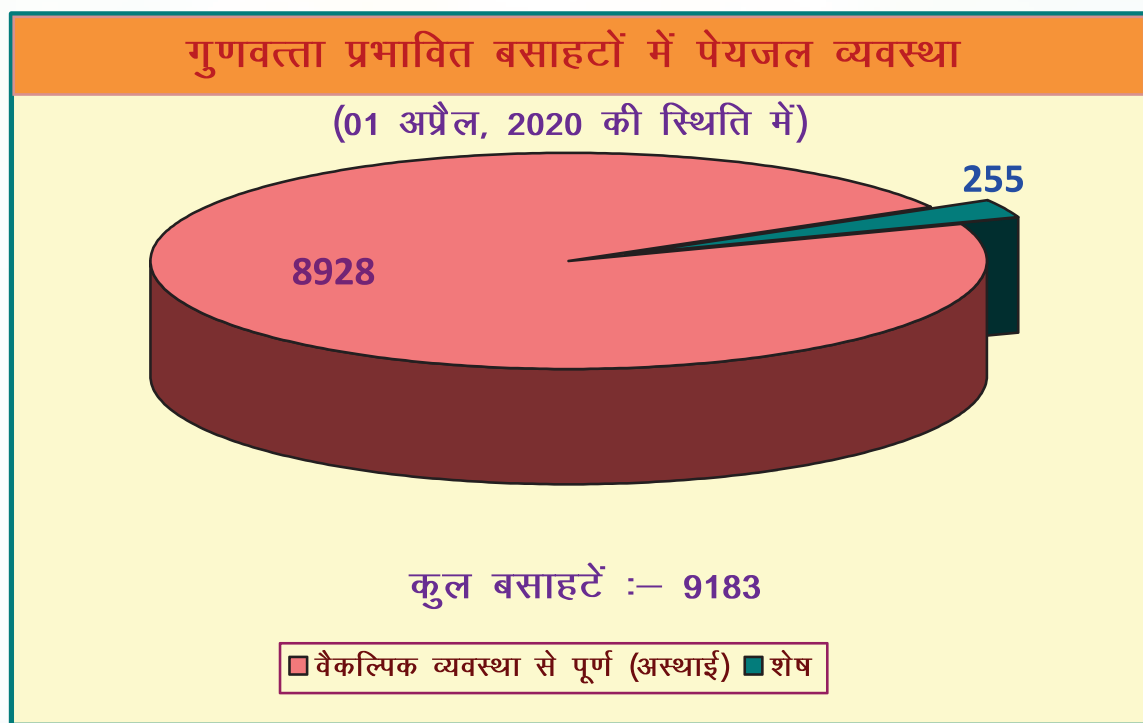
नलजल योजनाओं के माध्यम से बसाहटों का आच्छादन, ग्राम कनोजिया, जिला बैतूल

वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान पूर्ण की गई बसाहटों में पेयजल व्यवस्था का विवरण निम्नानुसार ग्राफ चार्ट में दर्शाया गया है :-



3.1.6 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में कार्य :-

प्रदेश के कुछ जिलों के पेयजल स्रोतों में रसायनिक तत्वों की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक पाई गई है, इनमें प्रमुख रूप से फ्लोराइड तत्व हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत इन पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्य किये जा रहे हैं।



प्रदेश की गुणवत्ता प्रभावित कुल चिन्हित 9183 बसाहटों में से 8928 बसाहटों में सुरक्षित वैकल्पिक स्रोतों पर आधारित योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल माह मार्च 2020 तक, उपलब्ध कराया जा चुका है। दिनांक 01.04.2020 की स्थिति में शेष 255 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में से कुल 13 बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित शेष चिन्हित बसाहटों में वैकल्पिक व्यवस्था से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य किये जा रहे हैं।

3.1.7 ग्रामीण शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों में पेयजल प्रदाय कार्यक्रम:—

प्रदेश की सभी शासकीय भवन युक्त ग्रामीण शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था हेतु कार्य कराया जाना है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जनों में साफ-सफाई के महत्व पर जागरूकता पैदा करना और स्कूली बच्चों में सफाई के महत्व को समझाना तथा शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में अभी तक किए गए कार्यों का मुख्य विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	कार्यों का विवरण	शालाओं की चिन्हित संख्या	ऑगनवाड़ियों एवं बालवाड़ियों की चिन्हित संख्या
	कुल	93419	66896
1	क्रियाशील नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल व्यवस्था	15899	8427
2	शौचालयों में पानी की निरंतरता	28842	15770
3	हाथ धोने की सुविधा की उपलब्धता	64692	39634
4	छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था	71090	32678
5	वर्षा जल संचयन संरचना स्थापित	920	479
6	ग्रे वाटर प्रबंधन	6346	3662
7	जियो टेगिंग के साथ	32065	18928

उपरोक्त के अलावा प्रदेश के आश्रम शाला एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में नलजल योजनाओं/पाइपों के माध्यम से उपलब्ध पेयजल प्रदाय व्यवस्था कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	कार्यों का विवरण	कार्यों की संख्या
1	क्रियाशील नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कुल पेयजल व्यवस्था	1339
2	जनपद पंचायत भवन/पंचायत घर में नल कनेक्शन की उपलब्धता	674
3	स्वास्थ्य केन्द्रों में नल कनेक्शन की उपलब्धता	297
4	सामुदायिक भवनों में नल कनेक्शन की उपलब्धता	95
5	आश्रम शालाओं में नल कनेक्शन की उपलब्धता	165
6	सामुदायिक शौचालयों में नल कनेक्शन की उपलब्धता	10
7	अन्य शासकीय कार्यालयों में नल कनेक्शन की उपलब्धता	98

3.1.8 भू जल संवर्धन एवं स्रोत स्थायित्व कार्यों की प्रगति :-

विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 20 तक कुल 112 नलकूपों में हाइड्रोफैक्चरिंग एवं 728 नलकूपों की सफाई के कार्य पेयजल स्रोतों के स्थायित्व हेतु विभागीय मशीनों के माध्यम से किये गये हैं।

3.1.9 हैंडपंप-प्लेटफार्म का पुनर्निर्माण :-

वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 1842 पुराने एवं क्षतिग्रस्त हैंडपंप प्लेटफार्म के स्थान पर नये प्लेटफार्म निर्मित किए गए हैं।



ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप प्लेटफार्म का निर्माण, जिला सतना

3.1.10 स्रोत सूखने से बन्द योजनाओं में स्रोत निर्माण एवं अन्य कारणों से बंद योजनाओं को चालू करना :-

यद्यपि ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन-संधारण का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का है, तथापि नलजल योजनाओं के स्रोत सूख जाने पर नवीन सफल स्रोत विकसित करने का दायित्व विभाग का है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 543 योजनाओं में नवीन सफल स्रोत विकसित कर एवं 798 अन्य कारणों से बंद नलजल योजनाओं में सुधार कार्य कर, कुल 1337 बंद नलजल योजनाओं को पुनः चालू किया जाकर ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को निरंतरित रखा गया है।

3.1.11 माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणाओं का क्रियान्वयन :-

मार्च 2020 से 31.12.2020 तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई कुल 11 घोषणाओं के विरुद्ध 01 घोषणा के कार्य पूर्ण, 06 घोषणाओं के कार्य पूर्ण सतत एवं 04 घोषणाएं लम्बित हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

3.2 आदिवासी उपयोजना :-

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं। प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक कुल 854 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये गये हैं।

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विगत 03 वर्षों में किये गये कार्यों की भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्यक्रम	2018-19	2019-20	2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)
1.	हैण्डपंप योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	2723	3436	698
2	नलजल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	414	348	156
3	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	11	10	—



आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल व्यवस्था :-
ग्राम- शिवरी, विकासखण्ड-बजाग, जिला डिण्डोरी

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विगत 03 वर्षों में किये गये कार्यों की वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है :-
(रुपये लाख में)

क्र.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)
1	ग्रामीण क्षेत्र	44303.07	62385.80	46068.52
2	नगरीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00
	योग	44303.07	62385.80	46068.52



आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल व्यवस्था :-
ग्राम- बरवानी, विकासखण्ड-घुघरी, जिला मण्डला

3.3 आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में 275(1) एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.व्ही.टी.जी.) मद के कार्य:—

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता 275(1) एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.व्ही.टी.जी.) मद में राशि उपलब्ध कराये जाने की सहमति दिये जाने के उपरांत विभाग द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 150–250 जनसंख्या वाली बसाहटों में सिंगल फेस मोटर पंप आधारित लघु नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय का कार्य प्रारंभ किया गया है। अभी तक कुल 296 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष कार्य निरंतरित हैं।

3.4 अनुसूचित जाति उपयोजना :—

अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य बसाहटों में वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक कुल 186 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये गये हैं।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विगत 03 वर्षों में किये गये कार्यों की भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :—

क्र.	कार्यक्रम	2018–19	2019–20	2020–21 (दिसं. 20)
1.	हैण्डपंप योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	491	628	162
2	नलजल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	43	50	24

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विगत 03 वर्षों में किये गये कार्यों की वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है :—
(रुपये लाख में)

क्र.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)
1	ग्रामीण क्षेत्र	32925.14	38556.82	31997.62
2	नगरीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00
	योग :	32925.14	38556.82	31997.62

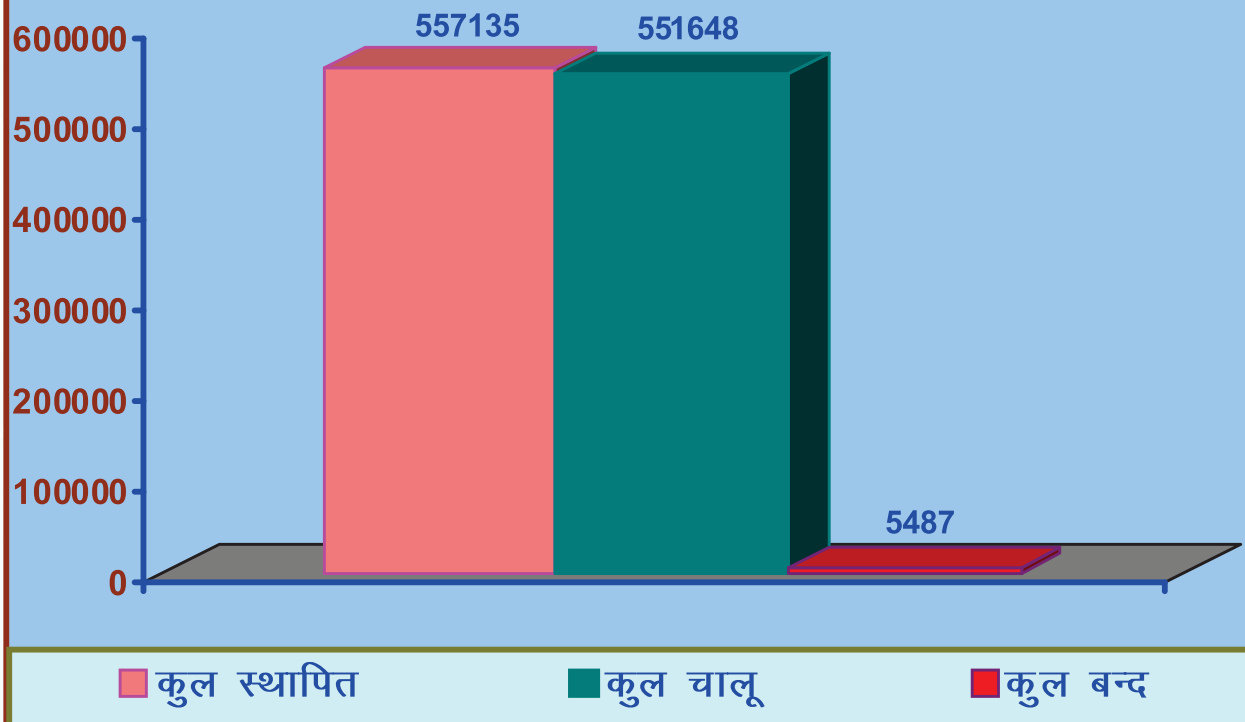
3.5 प्रदेश में स्थापित हैण्डपंप एवं नलजल योजनाएं :—

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में स्थापित हैण्डपंपों व क्रियान्वित की गई नलजल योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :—

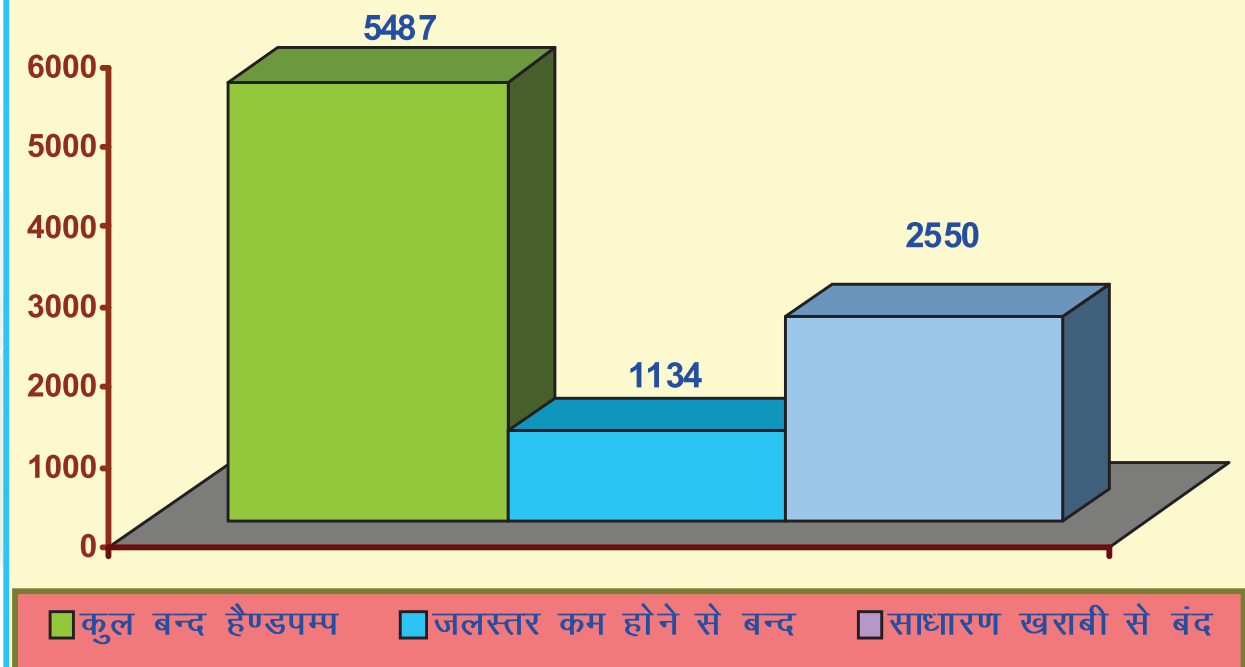
➤ प्रदेश में स्थापित हैण्डपंपों की स्थिति :—

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	कुल स्थापित शासकीय हैण्डपंप	5,57,135
2.	चालू हैण्डपंप	5,51,648
3.	कुल बन्द हैण्डपंप	5,487
3.1	जलस्तर कम होने से बन्द हैण्डपंप	1,134
3.2	असुधार योग्य (भरे-पटे आदि)	1,803
3.3	साधारण खराबी से बन्द (सुधार योग्य)	2,550

स्थापित हैण्डपम्पों की स्थिति 31.12.2020 तक



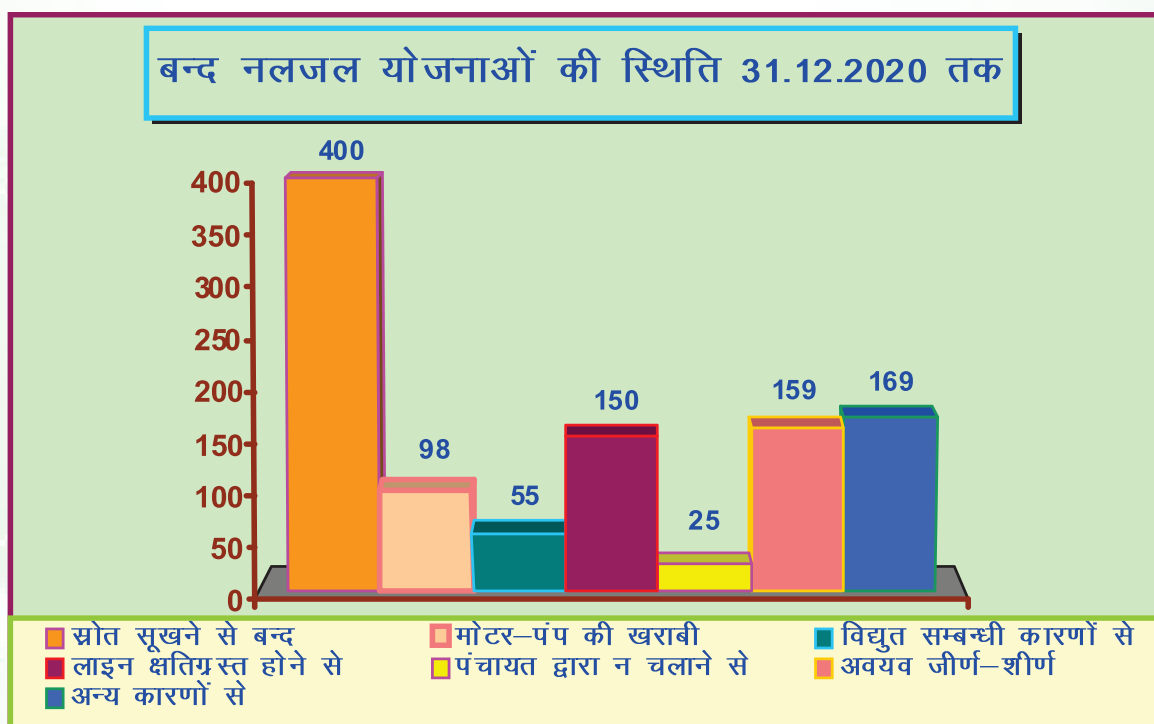
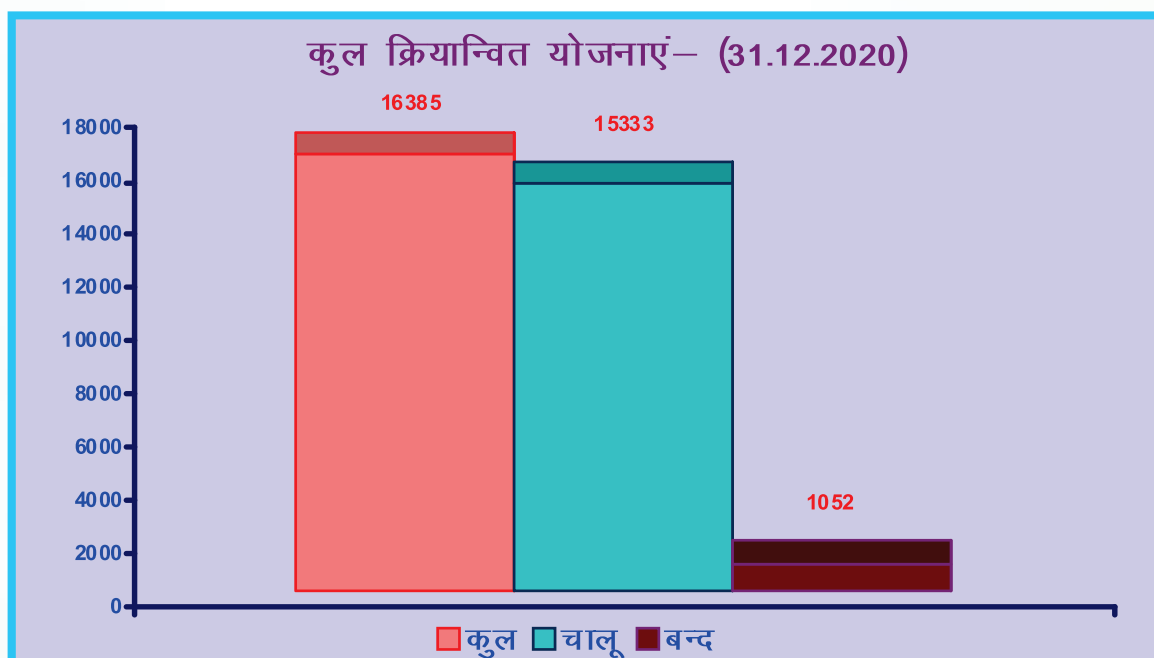
बन्द हैण्डपम्पों की स्थिति 31.12.2020 तक



प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हैण्डपंपों का संधारण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। संधारण कार्यों के अंतर्गत ही सामान्य रख-रखाव के साथ साथ जल स्तर नीचे जाने पर हैण्डपंपों में राइजर पाइप में वृद्धि के कार्य, आवश्यकतानुसार तकनीकी रूप से संभव होने पर भरे-पटे नलकूपों को साफ कर उन्हें पुनः उपयोगी बनाने, नलकूपों में हाइड्रोफ्रैक्चरिंग व हैण्डपंपों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म निर्माण आदि के कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते हैं।

➤ **प्रदेश में स्थापित नलजल प्रदाय योजनाओं की स्थिति :-**

प्रदेश में दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में, ग्रामीण क्षेत्र में कुल स्थापित 16,385 ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-



3.6 जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी :—

पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्रोतों के जल का परीक्षण कर उनके जल की गुणवत्ता का भी सतत अनुश्रवण किया जाता है। इस कार्य हेतु राज्य स्तर से उपखण्ड स्तर तक पेयजल परीक्षण हेतु प्रयोगशालायें स्थापित की गई हैं।

3.7 लोक सेवा गारंटी

लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम-2010 के अन्तर्गत हैण्डपंप संधारण कार्य सहित जल गुणवत्ता परीक्षण के कार्य एवं Ease of Doing Business के तहत औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल की उपलब्धता/अनुपलब्धता की एन.ओ.सी. को भी सम्मिलित किया गया है।

3.8 गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्रोतों वाली बसाहटों की योजनाओं का विवरण:—

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत फ्लोराइड, खारापानी व लौह तत्व आदि जल गुणवत्ता समस्या से प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कार्य किये जा रहे हैं। ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

दिनांक 01.04.2020 की स्थिति में 255 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें पाई गई थीं। प्राथमिकता के आधार पर इन बसाहटों में विभाग द्वारा वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3.8.1 फ्लोरोसिस नियंत्रण :—

पेयजल में 1.5 मि.ग्रा./लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फ्लोराइड प्रदूषित पेयजल के निरंतर सेवन से फ्लोरोसिस बीमारी हो सकती है, जिसका प्रारंभिक अवस्था में बचाव किया जा सकता है। दिनांक 01.04.2020 की स्थिति में 11 जिलों की 205 बसाहटें फ्लोराइड के अधिक्य से प्रभावित थी जिनमें से 13 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था वर्ष 2020-21 में की गई है तथा शेष बसाहटों में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3.8.2 खारेपन के नियंत्रण की योजनाएं :—

पेयजल में कुल घुलित लवणों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर (कोई अन्य स्रोत न होने की दशा में) है। पेयजल में उपरोक्त मात्रा से अधिक लवण होने पर पानी खारा हो जाता है।

दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की 10 बसाहटों में खारेपन की अधिकता पाई गई है। इन सभी बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

3.8.3 लौह तत्व की अधिकता का निराकरण :—

पेयजल में लौह तत्व की अधिकता होने से पानी लाल-भूरा हो जाता है एवं रंग के कारण अस्वीकार्य हो जाता है। पेयजल में लौह तत्व की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 1 मिली ग्राम प्रतिलीटर है। प्रदेश में वर्तमान में लौह तत्व की अधिकता से प्रभावित 33 बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.9 भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम :-

प्रदेश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा कृषि के रकवे में हुई वृद्धि के फलस्वरूप भूजल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार विगत कुछ वर्षों से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में असामान्य एवं असंतुलित वर्षा हो रही है। इन कारणों से भू-जल के स्तर में निरंतर गिरावट परिलक्षित हो रही है। भूजल के अत्यधिक दोहन से भूजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। गिरते भूजल स्तर एवं भूजल स्रोतों में उपलब्ध जल की मात्रा में आ रही कमी को दृष्टिगत रखते हुये भूजल संवर्धन एवं वर्षा जल पुनर्भरण के कार्य को करना अत्यंत आवश्यक है।

3.9.1 भूजल की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2016-17 में किये गये आंकलन के अनुसार प्रदेश के 24 जिलों के 22 विकास खंड अतिदोहित (Over-exploited), 7 विकासखण्ड दोहित (Critical) एवं 44 विकास खण्ड अर्द्धदोहित (Semi Critical) श्रेणी में हैं। इन विकास खंडों में भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुये इसका संरक्षण एवं संवर्धन करना अत्यंत आवश्यक है।

विकासखण्डों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	विकास खण्डों के नाम					
		क्र.	अतिदोहित	क्र.	दोहित श्रेणी	क्र.	अर्द्धदोहित श्रेणी
1	बड़वानी	1	पानसेमल			1	राजपुर
2	धार	2	बदनावर			2	तिरला
		3	धार				
		4	नालछा				
3	इंदौर	5	इंदौर			3	महू
		6	सांवेर				
		7	देपालपुर				
4	मंदसौर	8	मंदसौर	1	मल्हारगढ़	4	गरोट
		9	सीतामऊ	2	भानपुरा		
5	रतलाम	10	जावरा			5	सैलाना
		11	पिपलोदा			6	बाजना
		12	रतलाम				
		13	आलोट				
6	शाजापुर	14	मोमन बड़ोदिया	3	कालापीपल	7	शाजापुर
		15	शुजालपुर				
7	उज्जैन	16	उज्जैन			8	महिदपुर
		17	बड़नगर			9	खाचरौद
		18	घटिया			10	तराना
8	देवास	19	देवास			11	खातेगांव
		20	सोनकच्छ				
9	आगर	21	नलखेड़ा			12	बड़ोद
		22	सुसनेर				
10	सतना					13	रामपुर बघेलान
						14	सोहावल
						15	मैहर
11	भोपाल					16	फंदा
12	बैतूल					17	बैतूल
						18	मुलताई

क्र.	जिला	विकास खण्डों के नाम					
		क्र.	अतिदोहित	क्र.	दोहित श्रेणी	क्र.	अर्द्धदोहित श्रेणी
13	छिन्दवाड़ा					19	छिंदवाड़ा
						20	पांदुरना
14	छतरपुर					21	छतरपुर
						22	नौगांव
						23	बक्सवाहा
15	खरगौन					24	खरगौन
16	खंडवा					25	छेगाँव माखन
17	नीमच			4	जावद	26	मनासा
				5	नीमच		
18	सीहोर					27	आष्टा
				6	नरसिंहगढ़	28	खिलचीपुर
19	राजगढ़			7	सारंगपुर	29	ब्यावरा
						30	जीरापुर
20	शिवपुरी					31	खनियाढाना
						32	नरवर
						33	बदरवास
						34	पिछौर
21	टीकमगढ़					35	बल्देवगढ़
						36	निवाड़ी
						37	टीकमगढ़
						38	पलेरा
						39	जतारा
22	सागर					40	बंडा
23	दमोह					41	पथरिया
						42	बटियागढ़
24	रायसेन					43	ओब्दुल्लागंज
						44	सांची

3.9.2 भूजल पुनर्भरण हेतु योजना निर्मित करने के लिए ग्राम में स्थल चयन के लिए संबंधित जानकारी जैसे वाटर शेड, भूगर्भीय चट्टान, मृदा, भौगोलिक परिस्थिति, लिनियामेंट कन्टूर आदि की जानकारी सरलता से उपलब्ध कराने हेतु मेपआइटी (MAPIT) से जीआईएस (GIS) के आधार पर विभाग द्वारा वेबसाइट विकसित कराई गई है। इस कार्य से प्रदेश के सभी जिलों में पेयजल स्रोत भूजल पुनर्भरण हेतु ग्राम में स्थित तालाब/नदी नाले की वर्तमान स्थिति एवं रिचार्ज संरचना हेतु स्थल चयन का निर्धारण करने में उपयोग किया जा रहा है।

3.9.3 MAPIT द्वारा विकसित वेबसाइट में पेयजल स्रोत एवं पुनर्भरण संरचना को चिह्नित करने एवं साथ ही Real Time Monitoring System विकसित किया जा रहा है। साथ ही जल निगम द्वारा निर्मित समूह नलजल योजना परिसंपत्तियों को वेबसाइट पर चिह्नित किया जा रहा है।

3.9.4 राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र एन.आर.एस.सी. (NRSC) हैदराबाद द्वारा 1:50,000 स्केल पर हाइड्रोजिओमार्फोलॉजिकल नक्शे (HGM Maps) तैयार किये गये हैं। जिनका उपयोग भूजल की उपलब्धता के संभावित स्थान और एक्वीफर के पुनर्भरण का स्थान पता लगाने के लिए किया जा रहा है।

- 3.9.5** जल सहायता संगठन अंतर्गत विभाग में कार्यरत जिला स्तरीय भूजलविदों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल योजना के पेयजल स्रोत सर्वेक्षण एवं भूजल स्रोत के दीर्घकालीन स्थायित्व के लिए पुनर्भरण संरचनाओं के स्थल चयन में तकनीकी सहयोग का कार्य किया जा रहा है।
- 3.9.6** वर्ष 2019-20 में भू-भौतिकी सर्वे हेतु आवश्यक 10 डिजिटल रजिस्ट्रीविटी मीटर (जी.पी.एस. सहित) मण्डल स्तर पर उपलब्ध कराये गये हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सफल पेयजल स्रोतों के स्थल चयन में सफलता प्राप्त हो रही है। वर्तमान में कार्यरत सभी विभागीय भूजलविद हेतु रजिस्ट्रीविटी मीटर क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है।
- 3.9.7** भूजल उपलब्धता के संभावित क्षेत्रों को दूर संवेदी उपग्रहों की सेटेलाइट इमेज का उपयोग कर 1:10,000 स्केल पर नक्शे बनाये जाने के लिए एन.आर.एस.सी. एवं मेपकास्ट के द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
- 3.9.8** मेपकास्ट द्वारा पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 04 जिलों— धार, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़. एवं बैतूल के एटलस निर्माण का कार्य दिया गया है।
- 3.9.9** स्रोत स्थायित्व हेतु जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन तथा गंदला जल प्रबंधन के लिए जिलों में संचालित केन्द्रीय और राज्य पोषित स्कीम जैसे पी.एम.के.एस.वाय. (PMKSY) के वाटर शेड विकास, मनरेगा, जल संसाधन विभाग द्वारा जल भंडारों की मरम्मत नवीनीकरण और उनका जीर्णोद्धार, आकांक्षी जिलों हेतु, 15 वें वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन आदि के तहत ग्रामों में अभिसरण कर कार्य किये जाने हेतु जिला पंचायत में नलजल योजना हेतु चयनित ग्रामों की सूची उपलब्ध कराई जा रही है।
- 3.9.10** अटल भूजल योजना के अंतर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पांच जिलों सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर एवं पन्ना जिलों में पीजोमीटर खनन एवं टेलीमेट्री का कार्य समेकित रूप से एकल एजेन्सी के माध्यम से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जावेगा।

3.10 विभागीय नलकूप खनन मशीनों का विवरण :-

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूपों का खनन, विभागीय रूप से, विभागीय रिगों द्वारा सम्पादित किया जाता है। ग्रामों में नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी नलकूप खनन के कार्य विभागीय रिगों द्वारा सम्पादित किए जाते हैं। उपलब्ध विभागीय मशीनों की क्षमतानुसार वर्ष में लगभग 7500 नलकूप खनन किये जा सकते हैं। वर्ष 2020-21 में निर्धारित लक्ष्य 3173 के विरुद्ध दिसंबर, 2020 तक कुल 4989 नलकूपों का खनन किया गया है, इसमें नलजल योजनाएं एवं निक्षेप आदि के कार्य भी सम्मिलित हैं। वर्ष 2020-21 में (दिसंबर 2020) तक 112 कम आवक क्षमता वाले नलकूपों के पुनर्जीवीकरण का कार्य भी विभागीय हाईड्रोफ्रेक्चरिंग इकाइयों का उपयोग कर किया गया है। विभागीय रिग मशीनों से कुल 728 नलकूपों की सफाई का कार्य किया गया है। विभाग में उपलब्ध यील्ड टेस्ट इकाइयों के द्वारा नलजल योजना के 279 नलकूपों का यील्ड टेस्ट भी किया गया है।

नलकूप खनन हेतु विभाग में कुल 78 विभागीय खनन मशीनें उपलब्ध हैं, जिनमें 72 डी.टी.एच. रिग, 02 रोटरी रिग तथा 4 काम्बीनेशन मशीनें हैं। जिलों की भू-संरचना को दृष्टिगत रखते हुए डी.टी.एच. रिग पथरीले इलाके में साधारण नलकूप, रोटरी रिग मशीनें मिट्टी व रेतीले स्ट्रेटा में ग्रैवल पेक नलकूप तथा काम्बीनेशन रिग मिश्रित स्ट्रेटा के क्षेत्र में नलकूप खनन करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। वर्तमान में 5 हाईड्रोफ्रेक्चरिंग मशीनें जल आवक क्षमता बढ़ाने एवं 5 यील्ड टेस्ट यूनिट जल आवक क्षमता परीक्षण के लिए विभाग में उपलब्ध हैं। वर्ष 2018-19 में 04 नवीन काम्बीनेशन मशीनों के क्रय का प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त किया गया है, इन मशीनों के क्रय की आगामी कार्यवाही प्रचलन में है। इन मशीनों में काम्बीनेशन (ग्रेवल पैक+डी.टी.एच.) तथा ऑडेक्स ड्रिलिंग के माध्यम से सफलता पूर्वक नलकूप खनन की क्षमता है।

● **विभागीय ड्रिलिंग मशीनों द्वारा विगत वर्षों में किये गए कार्यों की प्रगति:—**

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	सफल नलकूपों की संख्या
2017-18	5896	9503	8397
2018-19	3200	7557	6524
2019-20	3370	7145	6208
2020-21 (दिसंबर, 2020 तक)	3173	4989	4523

नोट :— निर्धारित लक्ष्यों के अतिरिक्त जिलों की नलजल योजनाओं के स्रोत निर्माण सहित निक्षेप आदि मद में किये गये कार्य उक्त उपलब्धि में सम्मिलित हैं ।

वर्ष 2020—21 तक शासन द्वारा अनुपयोगी मशीनों एवं संयंत्रों हेतु गठित अपलेखन समिति द्वारा अद्यतन 60 मशीनों का अपलेखन हेतु अनुशंसा की गई थी, जिनमें से सभी मशीनों का अपलेखन किया जाकर रु. 133.45 लाख का राजस्व प्राप्त हो चुका है, वर्ष 2020—21 में 2 मशीनों के अपलेखन की कार्यवाही प्रगतिरत है जिनसे अपलेखन पश्चात मूल्य रुपये 4.70 लाख का राजस्व प्राप्त होना सम्भावित है ।



विभागीय ड्रिलिंग मशीनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के कार्य

- **विशेष उपलब्धि :-** पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश ने शासकीय विद्यालयों के उन्नयन हेतु पेयजल की व्यवस्था के संबंध में हैण्डपम्प खनन/स्थापना हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित 2776 पेयजल स्रोत विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की सूची मय प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें 2590 नलकूप खनन कर 2188 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से 250 की आबादी वाले ग्रामों के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य, विद्युत यांत्रिकी संकाय द्वारा प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत 1700 ग्रामों की डी.पी.आर. तैयार कराई जा चुकी है। 1647 डी.पी.आर. की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर खण्ड कार्यालय स्तर पर 1394 निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं।

- **विभागीय वाहनों की जानकारी :-**

विभाग के मेकेनिकल खण्ड भोपाल के अन्तर्गत वर्ष 1991 के बाद के 21 निरीक्षण वाहन उपलब्ध हैं, जो भोपाल मुख्यालय में स्थित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता कार्यालयों के अधिकारियों को आवंटित हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में आवश्यकतानुसार निरीक्षण वाहन किराये पर लिये जाते हैं।

3.11 जल सहायता संगठन (WSO) :-

भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा "जल जीवन मिशन" के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 25.12.2019 से प्रभावी मार्गदर्शिका तथा मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-03/2020/2/34 दिनांक 19.05.2020 द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्र. एफ-06/13/2003/34/1, दिनांक 01.08.2003 द्वारा गठित राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को अधिक्रमित करते हुए, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जारी परिचालन दिशा-निर्देश में दिये गये दायित्वों का निर्वाहन राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा। तदनुक्रम में पूर्व से कार्यरत जल सहायता संगठन को पुर्नगठित करते हुये राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में समाहित कर जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित की जाने वाली सहायक गतिविधियाँ तथा जल गुणवत्ता एवं अनुश्रवण निगरानी संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मानव संसाधन विकास, सूचना शिक्षा एवं संचार, जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी, सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास, अनुसंधान एवं विकास जैसी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इस हेतु क्रियान्वयन सहायता संस्था, तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्थाओं एवं राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से उक्त गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। जल सहायता संगठन के अंतर्गत संविदा आधार पर स्वीकृत एवं भरे हुये पदों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समायोजित किया गया है, विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों के विरुद्ध भरे गये पद
अ. राज्य स्तर			
1.	निदेशक, जल जीवन मिशन	1	1
2.	अधीक्षण यंत्री (राज्य समन्वयक) एक पद	1	—
3.	कार्यपालन यंत्री	1	1
4.	सहायक यंत्री	1	1

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों के विरुद्ध भरे गये पद
5.	उप यंत्री	1	—
6.	राज्य स्तरीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार)	1	—
7.	राज्य स्तरीय सलाहकार (भूजलविद्)	1	1
8.	राज्य स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)	1	—
9.	राज्य स्तरीय सलाहकार (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी)	1	1
10.	लेखापाल	1	—
11.	डाटा इंट्री ऑपरेटर	1	1
ब. जिला स्तर			
1.	जिला स्तरीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास)	50	31
2.	जिला स्तरीय सलाहकार (सूचना, शिक्षा एवं संचार)	50	38
3.	जिला स्तरीय सलाहकार (भूजलविद्)	50	19
4.	जिला स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)	50	15
स. विकासखण्ड स्तर			
1.	विकासखण्ड स्तरीय संयोजक (तकनीकी)	313	234
	कुल पद	524	343

जल जीवन मिशन द्वारा क्रियान्वयन —

(अ) क्रियान्वयन सहायता संस्थाओं का सूचीबद्धकरण (ISA)

जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका की कण्डिका क्रमांक 5.5 के अनुसार विभाग द्वारा 125 क्रियान्वयन सहायता संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है। क्रियान्वयन सहायता संस्थाओं द्वारा संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. प्रत्येक ग्राम में VWSC का गठन करना ।
2. ग्राम कार्य योजना तैयार करना ।
3. VWSC को बैंक खाता खुलवाने में सहायता करना ।
4. ग्रामीणों को मिशन के संबंध में जागरूक एवं प्रेरित करना ।
5. योजना के लिये सामुदायिक अंशदान एकत्रित कर बैंक खाते में जमा कराना ।
6. योजना के निरीक्षण संचालन एवं संधारण हेतु ग्रामीण समुदाय को मार्गदर्शित करना एवं मार्गदर्शिका अनुसार अन्य संबंधित कार्य ।

(ब) तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्थाओं का सूचीबद्धकरण (TPI)

जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका की कण्डिका क्रमांक 9.6 के अनुसार विभाग द्वारा 28 तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है । तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्थाओं द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली नल जल योजनाओं के निर्माण कार्यों (सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल) का गुणवत्ता निरीक्षण संबंधी कार्य संपादित किया जावेगा ।

(स) राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन ईकाई का गठन (PMU)

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के सहयोग हेतु जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका की कण्डिका क्रमांक 5.3 में उल्लेखित विभिन्न पदों पर मानव संसाधन की सेवायें राज्य स्तरीय प्रबंधन ईकाई के माध्यम से लिया जाना है। राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन ईकाई हेतु प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया अपनाते हुये गुणवत्ता सह लागत आधारित (Quality come cost base selection) राष्ट्रीय स्तर की संस्था के चयन के लिये प्रक्रिया प्रगतिरत है। राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई हेतु चयनित संस्था द्वारा निम्नानुसार पदों पर मानव संसाधन की संवाये अस्थायी रूप से लिया जाना है :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1	टीम लीडर	1
2	प्रोजेक्ट मैनेजर (तकनीकी)	1
3	प्रोजेक्ट मैनेजर (वित्तीय)	1
4	प्रोजेक्ट मैनेजर (निगरानी)	1
5	कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ (आई.एस.ए.) समन्वयक	1
6	शिक्षा, सूचना एवं संचार समन्वयक (आई.ई.सी.)	1
7	क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण समन्वयक	1
8	एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.) कोआर्डिनेटर	1
9	प्रत्येक जोन के लिये एक समन्वयक (एम एण्ड ई.)	5
10	वित्तीय सहायक	2
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5
12	कार्यालय सहायक	3
13	जिला स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजर (तकनीकी)	56
14	जिला स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजर (निगरानी)	56
15	जिला समन्वयक कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ (आई.एस.ए.)	56
16	जिला सूचना, शिक्षा एवं संचार कन्सल्टेंट	19
17	जिला मानव संसाधन विकास समन्वयक	25
18	जिला अनश्रवण एवं मूल्यांकन समन्वयक	41
19	जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी समन्वयक	56

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण ईकाई खंड को अनुसंधान एवं विकास ईकाई के रूप में मान्य किया गया है। राज्य तकनीकी एजेंसीज (State Technical Agencies) का चयन एवं विभागीय योजनाओं के परीक्षण, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु समन्वय भी इस मिशन द्वारा किया जाता है। राज्य तकनीकी एजेंसीज (एस.टी.ए.) के रूप में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MANIT), भोपाल, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MAPCAST), भोपाल, श्री गोविन्दराम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (SGSITS) इंदौर को चयनित किया गया है।

3.11.1 सहायक गतिविधियाँ :-

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली कुल राशि का 5 प्रतिशत राशि सहायक गतिविधियों के लिये निर्धारित है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सहायक गतिविधियों का निष्पादन क्रियान्वयन सहायता संस्थाओं द्वारा किया जाना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संपादित की जाने वाली प्रमुख सहायक गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ :-

मानव संसाधन विकास गतिविधियों के अंतर्गत, विभाग के कार्यालयीन एवं अन्य मैदानी अमले का क्षमतावर्धन, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय तथा पंचायती राज्य संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन एवं उन्मुखीकरण कर उन्हें विभागीय गतिविधियों से जोड़ा जाता है।



चौपाल चर्चा :- ग्राम रतन पिपल्या विकासखंड मल्हारगढ जिला मन्दसौर

विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कर तदनुसार विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का प्रशिक्षण राज्य स्तर, परिक्षेत्र स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर तक किया जाता है।

जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण पेयजल उपसमितियों का गठन मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 13 अगस्त 2020 में प्रकाशित प्रावधान अनुसार किया जा रहा है। इन समितियों के सदस्यों को पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कैस्केड मोड में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त मिशन अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली नल जल योजनाओं के स्थानीय स्तर पर संचालन एवं संधारण हेतु विभिन्न संवर्ग यथा—मेशन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर एवं अन्य हेतु लगभग 50000 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाय कराया जाना है।



मैदानी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण :- ग्राम बरडिया बरखेड़ा
विकासखंड सीतामऊ जिला मन्दसौर

इस हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के साथ अनुबंध निष्पादन प्रक्रियाधीन है। इस वर्ष 31.12.2020 तक संपादित प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	जिला स्तरीय सलाहकार का प्रशिक्षण	103
2.	विकासखंड स्तरीय समन्वयकों (तकनीकी) का प्रशिक्षण	234
3.	विभागीय अभियंताओं/कर्मचारियों तथा अन्य विभागों के अधिकारियों /कर्मचारियों का प्रशिक्षण	1210
4.	पेयजल उप समितियों के सदस्यों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	32275
5.	फील्ड टेस्टिंग किट एवं एच टू एस के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मैदानी अमला/पंचायती राज सदस्यों का प्रशिक्षण	25000

2. सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां :-

जल जीवन मिशन अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के प्रचार-प्रसार एवं शुद्ध पेयजल के उपयोग से होने वाले लाभों की जानकारी को प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां संपादित की जाती हैं। इन गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की एक समिति गठित की गई है। प्रचार-प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, चलचित्र प्रसारण, जागरूकता रथ का भ्रमण, रेडियो/केबल टी. व्ही. का प्रसारण, ग्रामीण सहभागिता आंकलन (पी.आर.ए.), होर्डिंग्स, नारा लेखन, ग्राम सभा, वार्ड सभा का आयोजन इत्यादि गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।



जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पी.आर.ए. (आई.ई.सी.) गतिविधियों के माध्यम से ग्राम कार्य योजना की तैयारी :- ग्राम टाण्डाखेड़ा दसई, जिला धार



स्कूल रैली का आयोजन :- ग्राम टाण्डाखेड़ा दसई, जिला धार

इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के सभी जिलों में सूचना, शिक्षा एवं संचार के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियाँ संपादित की गई हैं :-

क्र.	गतिविधियाँ	संख्या
1	जिला स्तरीय कार्यशाला	4
2	मेला / प्रदर्शनी आयोजन	21
3	आई.ई.सी.वेन / रथ	56
4	होर्डिंग / बैनर / पोस्टर	7662
5	दीवार लेखन	7235
6	वाटर ऑडिट	1942
7	ग्राम सभा / ग्रुप मीटिंग	7626
8	स्कूल रैली / वाद-विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताएं	1556
9	स्कूल प्रतियोगिता	631
10	ऐगेंजिंग वालेन्टियर	775
11	नुकड़ नाटक / गायन एवं नाट्य कार्यक्रम	1067
12	पी.आर.ए.	6609
13	ग्रामीण कार्ययोजना	7535
14	ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (V.W.S.C.) का गठन	6357

हरिभूमि

भोपाल - मालवा भूमि
28 Sep 2020

शुद्ध पेयजल का परीक्षण

करने 14 प्रकार की जांच

जिले भर में मनाया जा रहा पेयजल परीक्षण एवं स्वच्छता पखवाड़ा

स्वच्छता पखवाड़े के तहत ग्राम पायली में पहुंचा प्रचार रथ, दी जानकारी

ग्रामीणों को दूषित पानी के दुष्प्रभाव के बारे में समझाया गया



हरिभूमि ब्यूरो, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन के द्वारा 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलाये जा रहे स्वच्छता पखवाड़े व पेयजल परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को इसका प्रचार रथ

जोरापुर रोड़ पर स्थित ग्राम पायली में पदया यात्रा पर एक कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को दूषित पानी के दुष्प्रभाव के बारे में समझाया गया। तथा पीने के पानी के सैलन लेकर जांच भी की गई। एवं ग्रामीणों को पानी शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित

दवाई बिस्तर भी की गई। इस अवसर पर विकास खण्ड समन्वयक पशवंत सिंह चौहान, धानू दावी, सचिव रामलाल खगड़ावत, कैलाश चंद मलखोष तथा जल समिति के सदस्य एवं ग्रामीण जन मौजूद रहे।

स्टार समाचार संतना

लोक स्वास्थ्य यात्रिको विभाग द्वारा कलेक्टर एवं सीईओ के मार्गदर्शन व कार्यपालन संज्ञी जेपी

टीम पानी की शुद्धता जांचने 14 प्रकार की जांच कर रही है। पीएचई विभाग द्वारा खंड व उपखंड स्तर पर प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं जहां पानी की भौतिक, रासायनिक व जैवाणु परीक्षण किया जाता है। सामान्य तौर पर पानी की 14 प्रकार की जांच की जाती है, पानी में फास्फोरस, क्लोराइड, नाइट्रेट, कैल्शियम, आयरन समेत कई तत्व निर्धारित मात्रा में होते हैं जिनको अधिक मात्रा

पानी को प्रदूषित व हानिकारक बनाती है। मौजूदा समय में लोग ज्यादातर दूषित पानी व स्वच्छता के अभाव में ही बीमार होते हैं। यदि शुद्ध पेयजल व स्वच्छता अपनाई जाए तो बहुत कुछ बीमारियाँ जैसे हैजा, पोलियो, टाइफाइड आदि अन्य रोगों से बचा जा सकता है।

जल स्रोतों का भी परीक्षण

कार्यक्रम के तहत हैडपंपों समेत सभी जल स्रोतों का जल परीक्षण एकटीके के द्वारा किया जाता है। इसके लिए आगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा समेत पंचायत के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे लोग गांव में ही रह कर अपने गांव के जल का परीक्षण कर जान सकें कि पानी पीने योग्य है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त गांवों में ग्राम कार्य योजना व पेयजल समिति का भी गठन कराया जा रहा है ताकि ग्राम में स्थापित नल जल योजना का संचालन - संचारण समिति के ही माध्यम से कराया जा सके, साथ ही प्रति ग्राम पंचायत से 4-4 लोगों को प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैसन व पम्प ऑपरेटर के रूप में चयनित कर उन्हें प्रशिक्षित भी कराया जाएगा।



पीपल्स समाचार सिटी एक्टिविटी

पेयजल स्वच्छता जागरूकता रथ रवाना



भोपाल। जल जीवन मिशन अंतर्गत पेयजल परीक्षण एवं स्वच्छता परखवाड़ा 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसका शुभारंभ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखिलावन पटेल तथा उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव और बैरसिया विधायक विष्णु खत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया। इसमें विकासखंड फंदा तथा बैरसिया के गांवों के पेयजल स्रोतों का जल परीक्षण और स्वच्छता सर्वेक्षण तथा शुद्ध पेयजल की उपयोगिता एवं रखरखाव के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

माननीय श्री रामखिलावन पटेल मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक आयोग मध्यप्रदेश शासन तथा माननीय डॉ. मोहन यादव मंत्री उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय श्री विष्णु खत्री विधायक विधानसभा बैरसिया के द्वारा संयुक्त रूप से भोपाल जिले के विकासखंड फंदा एवं बैरसिया में जल जीवन मिशन अंतर्गत पेयजल परीक्षण एवं स्वच्छता परखवाड़ा (दिनांक 25 सितंबर 2020 से 10 अक्टूबर 2020) का शुभारंभ किया गया जिसके अंतर्गत ग्रामों में समस्त पेयजल स्रोतों का जल परीक्षण करने, पेयजल स्रोतों को स्वच्छता सर्वेक्षण करने एवं ग्राम में शुद्ध पेयजल की उपयोगिता एवं जल के रखरखाव पर "हर घर नल हर नल जल" जागरूकता के उद्देश्य से तैयार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

3. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां :-

ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहायक गतिविधियों के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का प्रावधान किया गया है। म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (MAPCAST) भोपाल एवं बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंस (BITS), राँची के सहयोग से हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजीकल मैप्स (HGM-Map's) को अद्यतन किया जा रहा है, जिसमें वाटर क्वालिटी लेयर को भी अंकित किया जा रहा है।

3.11.2 जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम :-

पेयजल की गुणवत्ता के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत दो प्रतिशत राशि जल गुणवत्ता अनुश्रवण व निगरानी कार्यक्रम के लिये निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये गये :-

- ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा प्रदाय किये जा रहे जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं। प्रदेश में 51 जिला स्तरीय तथा 103 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालाएँ एवं राज्य मुख्यालय पर 01 राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित हैं, जिनमें पेयजल स्रोतों के नियमित जल परीक्षण किये जाते हैं
- जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में 250 परीक्षण प्रतिमाह के मान से कुल 1533000 एवं उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालाओं में 250 परीक्षण प्रतिमाह के मान से कुल 309000 जल नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य वर्ष 2020-21 में निर्धारित है। जिसके विरुद्ध जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं द्वारा 149847 एवं उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालाओं द्वारा 253465 जल नमूनों का परीक्षण किया गया है।

- भारत सरकार द्वारा जल की पीने के लिये उपयुक्तता के ऑकलन हेतु 13 घटकों का परीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है।

ये घटक हैं -1. टर्बीडिटी, 2. पी.एच., 3. रंग 4. हार्डनेस 5. क्लोराइड, 6. एल्केलिनिटी, 7. टी.डी.एस, 8. फ्लोराइड, 9. आयरन, 10. नाइट्रेट, 11. सल्फेट, 12. कॉलीफार्म 13. ई-कोलाई परीक्षण।



फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से प्रशिक्षण एवं वितरण :- जिला झाबुआ



फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से प्रशिक्षण एवं वितरण :- जिला गुना

- फील्ड टेस्ट किट एवं H2S वायल के माध्यम से वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक 670812 पानी के नमूनों की जॉच मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई ।



फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से प्रशिक्षण एवं वितरण :- सरदारपुर, जिला धार

- राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला में जिलों से प्राप्त जल नमूनों का प्रति परीक्षण किया जाता है, साथ ही यहाँ सीवेज, जल उपचार में उपयोग में लाये जाने वाले रसायनों की गुणवत्ता एवं पेयजल के उपचार संबंधी परीक्षण भी किये जाते हैं। यहां पर विभागीय रसायनज्ञों एवं प्रयोगशाला सहायकों के लिये जल परीक्षण संबंधी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक 2195 जल नमूनों का परीक्षण किया गया है।
- वर्ष 2020-21 में 165994 पेयजल स्रोतों का स्वच्छता निरीक्षण किया गया, जिससे पेयजल स्रोतों के उचित रखरखाव में सहायता मिली ।
- पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाओं का एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण :-**
राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल व जिला प्रयोगशाला रतलाम का एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण हो चुका है। वर्ष 2020 में जिला प्रयोगशाला धार को एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण प्राप्त हो चुका है शेष 49 जिला प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण के कार्य प्रगति पर हैं। जुलाई-अगस्त 2020 में प्रदेश के सभी 51 जिलों के कुल 220 अधिकारी/प्रयोगशाला कर्मचारियों को एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण के संबंध में क्यू.सी.आई. नई दिल्ली के माध्यम से प्रशिक्षित कराया गया है।



एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकृत राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल



एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकृत राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल में
पेयजल नमूनों का प्रति-परीक्षण कार्य

3.12 प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता प्रणालियों के सफल रूपांकन, कार्यान्वयन, परिचालन एवं रख-रखाव के लिये अद्यतन प्रचलित तकनीकों में दक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः विभाग के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को जल आपूर्ति तथा सफाई-व्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्धित तकनीकों तथा प्रबंधन दक्षता प्राप्त होना तथा समय-समय पर इसे अद्यतन करना और जलप्रदाय व स्वच्छता के क्षेत्र में हुए नवीनतम अनुसंधान एवं विकास से अवगत कराना आवश्यक है। इस हेतु वर्ष 2019-20 में कुल 477 अधिकारियों/कर्मचारियों को नामांकित किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष 2019-2020 एवं वर्ष 2020-2021 में आयोजित प्रशिक्षण :-

संस्था का नाम	वर्ष 2019-20 दिसम्बर-2019 तक		वर्ष 2020-21 दिसम्बर-2020 तक		कुल	
	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षु संख्या	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षु संख्या	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षु संख्या
1	4	5	—	—	6	7
प्रशासन अकादमी भोपाल	08	60	—	—	08	60
इंजीनियरिंग स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद	02	05	—	—	02	05
आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल	01	12	—	—	01	12
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भोपाल	01	45	—	—	01	45
सेंटर फार स्किलिंग एण्ड टेक्निकल सपोर्ट(सीपेट) भोपाल	01	20	—	—	01	20
उद्यमिता विकास केंद्र (सेडमैप) भोपाल	—	—	—	—	—	—
पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ, भोपाल	—	—	—	—	—	—
पर्यावरण नियोजन संगठन (एफको) भोपाल	01	02	—	—	01	02

वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित नहीं किये जा सके हैं।

3.13 विभागीय कम्प्यूटरीकरण :-

विभागीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु केन्द्र शासन तथा राज्य शासन द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा उनकी प्रगति की सतत निगरानी तथा समीक्षा हेतु निरंतर नये प्रयास, नये साफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। विभाग में भारत शासन तथा राज्य शासन एवं विभाग के विभिन्न साफ्टवेयर के माध्यम से विभागीय कार्यक्रम एवं योजनाओं की ऑनलाईन समीक्षा संभव हो सकी है। इस हेतु विभाग द्वारा विभिन्न स्तर के कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण तथा उसके आधुनिकीकरण का कार्य भी निरंतर किया जा रहा है।

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा भी पेयजल योजनाओं की समीक्षा हेतु ऑन लाईन सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाग की समस्त योजनाओं की विस्तृत प्रगति/स्थिति का अनुश्रवण किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न ऑनलाईन सॉफ्टवेयरों जैसे— परख, मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, समाधान ऑनलाईन एवं लोक सेवा गारंटी इत्यादि में भी जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में प्रचलित नवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का विभाग में समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु विभाग के विभिन्न कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर हार्डवेयर को समय-समय पर अद्यतन तथा नये कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय भी किया जाता है।

विभागीय कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत विभाग के कार्यालयों में निम्नानुसार कम्प्यूटर/हार्डवेयर आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है :—

- **प्रमुख अभियंता कार्यालय**

प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रमुख अभियंता, प्रमुख अभियंता (सलाहकार), संचालक, (जल सहायता संगठन) एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों तथा विभिन्न महत्वपूर्ण कक्षों में कम्प्यूटर तथा प्रिंटर स्थापित किये गये हैं। इनका उपयोग प्रदेश स्तरीय आंकड़ों के संकलन, विभागीय कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, भारत सरकार, राज्य शासन के विभिन्न ऑन लाईन सॉफ्टवेयर, ई-मेल से जानकारी के आदान-प्रदान एवं सामान्य पत्राचार के लिये आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में सभी कम्प्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क एवं इन्टरनेट से जोड़े गये हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार एन.आई.सी. एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से सॉफ्टवेयर विकास का कार्य भी किया जा रहा है। विभाग में बजट आवंटन तथा व्यय के लेखा जोखा, मानव संसाधन से संबंधित कार्य का संधारण भी वित्त विभाग के ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है।

- **परिक्षेत्र कार्यालय**

विभाग के विभिन्न परिक्षेत्र कार्यालयों में कम्प्यूटर आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ, लेजर प्रिंटर एवं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। समस्त परिक्षेत्र कार्यालयों में इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त आवश्यक यू.पी.एस. इत्यादि भी स्थापित किये गये हैं। परिक्षेत्र कार्यालयों द्वारा उनके अधीनस्थ मंडल तथा खंड कार्यालयों की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की समीक्षा उक्त कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा विभिन्न विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है।

- **मंडल कार्यालय**

विभाग के अंतर्गत मंडल कार्यालयों को भी आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ, इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। मंडल कार्यालय भी विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा इन संसाधनों के माध्यम से कर रहे हैं।

- **खण्ड कार्यालय**

कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत जिला स्तर के प्रत्येक खण्ड कार्यालयों को भी इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम्प्यूटर, प्रिंटर के साथ-साथ यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रयोगशालाओं हेतु भी कम्प्यूटर आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ उपलब्ध कराये गये हैं। खंड कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के

यथोचित संसाधनों की उपलब्धता के कारण विभिन्न ऑनलाईन सॉफ्टवेयर का उपयोग आवंटन एवं व्यय का लेखा जोखा रखना, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की रिपोर्टिंग इत्यादि सरल एवं सहज हो गई है। इन्टरनेट, व्ही.पी.एन. इत्यादि सुविधाओं के कारण वित्त से संबंधित समस्त कार्य ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्पादित किये जा रहे हैं।

- **उपखण्ड कार्यालय**

विभाग के विकास खण्ड स्तर पर स्थित उपखण्ड कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश में लागू लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शासन की वेबसाइट पर आम नागरिक से प्राप्त आवेदनों की डाटा एन्ट्री करने तथा सेवा उपलब्ध करवाने की स्थिति की समीक्षा हेतु एक नग कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. इन्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ पृथक से उपलब्ध करवाया गया है। विभाग के उपखण्ड स्तर के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिलाया गया है।

- **राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला**

राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल को भी कम्प्यूटर, यू.पी.एस. व प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के ऑन लाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेयजल स्रोतों के जल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला को राज्य संदर्भ संस्थान बनाया गया है। जल गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न परीक्षणों के ऑकड़ों के संधारण हेतु भी कम्प्यूटर का उपयोग किया जा रहा है।

- **विभागीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम**

विभाग द्वारा विगत वर्षों में प्रमुख अभियंता कार्यालय, परिक्षेत्र कार्यालयों एवं जिला स्तर के खंड कार्यालयों एवं उपखंड कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी प्रशिक्षणों के माध्यम से दी गई है। भारत सरकार तथा प्रदेश के विभिन्न ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में डाटा एन्ट्री करने तथा इनका उपयोग कर कार्य की समीक्षा करने हेतु भी, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार से सहायक गतिविधियों के अंतर्गत प्राप्त राशि से आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किये गये हैं।

3.13.1 सूचना प्रौद्योगिकी :-

- **विभागीय वेबसाइट**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेबसाइट www.mpphed.gov.in पर निम्न महत्वपूर्ण जानकारीयां उपलब्ध कराई गई हैं :-

- विभाग के उद्देश्य, दायित्व, संरचना व योजनाओं की जानकारी।
- विभागीय कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी।
- सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी, विभिन्न प्रपत्र एवं मैनुअल।
- विभाग द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवाओं एवं पेयजल नमूनों के परीक्षण शुल्क की जानकारी।
- तकनीकी व अन्य परिपत्र/निर्देश, विभिन्न स्तर के तकनीकी एवं वित्तीय अधिकार, आई.एस. कोड की सूची, विभागीय कार्यालयों के दूरभाष, आदि का विवरण।
- अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची।

- विभाग द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं की जानकारी ।
- विभागीय फोरम ।
- विभागीय उत्कृष्ट कार्यों के वीडियो, ऑडियो, छायाचित्र, सफलता की कहानियाँ, प्रचार-प्रसार सामग्री ।
- अधीनस्थ कार्यालयों से पत्राचार की व्यवस्था ई मेल के माध्यम से की गई है जिससे अनावश्यक स्टेशनरी एवं डाक व्यय की बचत के साथ समय की भी बचत हो ।
- विभाग में लागू दर-अनुसूचियां (SOR)

● ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया

शासन के निर्देशानुसार विभाग में समस्त निविदाओं का आमंत्रण तथा निष्पादन ई-टेण्डरिंग के माध्यम से किया जा रहा है। इस हेतु मध्यप्रदेश शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चयनित सेवा प्रदायकर्ता के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ई-टेण्डरिंग का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पंजीकृत ठेकेदारों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया का क्रियान्वयन करने हेतु अनुबंधित फर्म के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है।

● विभागीय प्रगतिरत योजनाओं की समीक्षा हेतु सॉफ्टवेयर का विकास (वर्क मॉनिटरिंग सिस्टम):-

विभाग द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगतिरत पेयजल योजनाओं के प्रगति तथा वास्तविक स्थिति की त्वरित समीक्षा हेतु मैप आईटी के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर तथा मोबाइल एप्लीकेशन का विकास किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ देयक निर्माण का कार्य तथा किये गये कार्य का सत्यापन भी किया जाना संभव हो सकेगा।

● पेयजल सुविधा सॉफ्टवेयर:-

विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विभिन्न पेयजल योजनाओं की स्थिति तथा इनसे संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु एन.आई.सी. के माध्यम से पेयजल सुविधा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में पेयजल योजना के समस्त अवयवों की प्रविष्टि की जाकर उनकी स्थिति की तथा उनमें आने वाली रुकावटों/खराबी की शिकायतों की समीक्षा तथा निवारण किया जा सकेगा। इस पोर्टल का उपयोग आम नागरिकों के साथ-साथ विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी किया जा सकेगा।

3.14 नगरीय पेयजल कार्यक्रम :-

3.14.1 कार्यक्रम और उपलब्धियां :-

वर्तमान में प्रदेश की केवल 2 जल प्रदाय योजनाओं क्रमशः सीधी एवं झाबुआ को छोड़कर शेष सभी नगरीय योजनाएँ संबंधित नगरीय निकायों द्वारा संचालित- संधारित की जा रही हैं।

3.14.2 सामान्य नगरीय जलप्रदाय योजना कार्यक्रम :-

नगरीय जल प्रदाय योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत छिन्दवाड़ा शहर की पेंचव्हेली समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी अवयवों के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

3.14.3 निक्षेप मद में विभाग द्वारा क्रियान्वित नगरीय योजनाएं :-

सागर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवां की जल प्रदाय योजना निक्षेप मद में विभाग द्वारा, लागत रुपये 1035.00 लाख की क्रियान्वित की जा रही है। योजना का कार्य प्रगति पर है।

3.14.4 राष्ट्रीय नदी/झील संरक्षण योजना कार्यक्रम :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निक्षेप कार्य के रूप में विभाग द्वारा शिवपुरी जिले के शिवपुरी झील संरक्षण परियोजना, कुल लागत राशि रुपये 111.55 करोड़ का क्रियान्वयन किया जा रहा है।



झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, जिला शिवपुरी

4. भाग—चार

मध्यप्रदेश जल निगम

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

1.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक—एफ 16—149 / 2012 / 2 / 34 भोपाल दिनांक 06 जून 2012 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरीय क्षेत्रों में समूह नलजल प्रदाय योजनाओं एवं नलजल विकास व उपचार के क्रियान्वयन, संचालन / संधारण एवं समन्वय के लिए “मध्यप्रदेश जल निगम” का गठन किया गया, जिसका पंजीयन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 9 जुलाई, 2012 को “मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित” के नाम से किया गया।

1.2 विभागीय संरचना

संचालक मण्डल —

1.	माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	— अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	— उपाध्यक्ष
3.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास	— उपाध्यक्ष
4.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	— उपाध्यक्ष
5.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	— उपाध्यक्ष
6.	भारसाधक सचिव, वित्त विभाग	— संचालक
7.	भारसाधक सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	— संचालक
8.	भारसाधक सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	— संचालक
9.	भारसाधक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	— संचालक
10.	भारसाधक सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	— संचालक
11.	भारसाधक सचिव, जल संसाधन विभाग	— संचालक
12.	भारसाधक सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग	— संचालक
13.	प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	— संचालक

1.3 मध्यप्रदेश जल निगम कार्यालय

मध्यप्रदेश जल निगम का पंजीकृत कार्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थापित है। मध्यप्रदेश जल निगम, प्रबंध संचालक के अधीन है।

मध्यप्रदेश जल निगम के अंतर्गत मैदानी कार्यालय के रूप में परियोजना क्रियान्वयन इकाईयाँ क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, राजगढ़, शहडोल, सिवनी, पन्ना, निवाड़ी, सतना, दमोह एवं जबलपुर की स्थापना की गई है।

मध्यप्रदेश जल निगम अंतर्गत सहायक यंत्री स्तर तक के स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	स्वीकृत संख्या
1	प्रबंध संचालक	1
2	परियोजना निदेशक (प्रमुख अभियंता)	1
3	मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता)	2
4	महाप्रबंधक / उपमहाप्रबंधक (अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री)	17
5	मुख्य वित्तीय अधिकारी (संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा)	1
6	महाप्रबंधक (जन सहभागिता)	1
7	प्रबंधक (उप संचालक, कोष एवं लेखा)	11
8	प्रबंधक (सहायक यंत्री)	29
9	कम्पनी सचिव	1
10	चार्टर्ड एकाउण्टेंट	1

1.4 निगम के प्रमुख उद्देश्य –

- राज्य के ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक स्थान पर परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा उचित वितरण व्यवस्था के साथ वर्ष भर उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- शहरी / नगरीय / ग्रामों की नलजल योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन, प्राक्कलन, निविदा प्रपत्र निर्माण, निविदाएं आमंत्रण, कार्यादेश, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण।
- भू-गर्भीय तथा सतही जल संसाधनों का संयुक्त (Conjunctive) उपयोग, सुनिश्चित करना।
- राज्य की ग्रामीण समूह नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पेयजल समितियों के गठन, उनमें जल के प्रति सामाजिक तथा पर्यावरणीय चेतना विकसित करने में सहयोग प्रदाय करना।
- नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले जल मल के निकास एवं उपचार की योजनाओं का आकल्पन एवं क्रियान्वयन करना।
- उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बाह्य सहायता एवं ऋण सहित अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, जिसमें ऋण भी शामिल होगा, की व्यवस्था करना।
- पेयजल व्यवस्था से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करना एवं इस हेतु राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थाओं से समन्वय करना।
- पेयजल प्रदाय योजनाओं एवं जल मल निकास योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित नीतिगत निर्णय हेतु राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।

2.1 विभागीय बजट वर्ष 2020–21

राशि की उपलब्धता :- कम्पनी की अंशपूंजी राशि रु. 100.00 करोड़ है।

2.2 योजनाओं हेतु ऋण एवं व्यय

1. आर.आई.डी.एफ – (RIDF-XIX) अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 17 समूह जल प्रदाय योजनाएं लागत रु. 983.33

करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रु. 835.80 करोड़ एवं राज्यांश रु. 147.53 करोड़ है।

2. **आर.आई.डी.एफ — (RIDF-XXII)** अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 04 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत रु. 352.15 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रु. 292.64 करोड़ एवं राज्यांश राशि रु. 59.51 करोड़ है।
3. **आर.आई.डी.एफ — (XXIV)** अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 03 समूह जल प्रदाय योजनाएं लागत रु. 788.21 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रु. 595.62 करोड़ एवं राज्यांश राशि रु. 192.59 करोड़ है।
4. **आर.आई.डी.एफ — (RIDF-XXV)** अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 04 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं लागत रु. 235.23 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रु. 199.95 करोड़ एवं राज्यांश राशि रु. 23.10 करोड़ है।
5. **आर.आई.डी.एफ — (RIDF-XXVI)** अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 02 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की लागत रु. 525.48 करोड़ में से लागत रु. 247.07 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया।
6. **आर.आई.डी.एफ — (RIDF-XXVI)** अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 07 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की लागत रु. 639.13 करोड़ में से लागत रु. 368.56 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया।
7. नाबार्ड अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक राशि रु. 2046.53 करोड़ का व्यय हुआ। वर्ष 2020-21 में नाबार्ड मद में 600 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है।

2.3 खनिज क्षेत्र विकास निधि / जिला माईनिंग :-

खनिज क्षेत्र विकास निधि / जिला माईनिंग अंतर्गत 14 समूह जल प्रदाय योजनाएं लागत रु. 1584.83 करोड़, क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिनांक 31.01.2021 तक कुल राशि रु. 1414.26 करोड़ का व्यय हुआ एवं वर्तमान में उक्त 14 योजनाओं में से 07 योजनाओं हेतु नाबार्ड से ऋण स्वीकृत किया गया है।

2.4 बाह्य वित्तीय सहायति निधि (एन.डी.बी.) :-

न्यू डेवलपमेंट बैंक (एन.डी.बी.) के द्वारा वित्त पोषित 09 योजनाओं लागत रु. 4512 करोड़ हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1166.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिनांक 31.01.2021 तक राशि रु. 2127.05 करोड़ व्यय की गई है।

3.0 समूह जल प्रदाय योजनाएं

वर्तमान में मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा सतही स्रोत आधारित समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन

किया जा रहा है। अभी तक 67 समूह जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वयन हेतु ली गई हैं, जिसमें प्रदेश के 16 जिलों के 805 ग्रामों की 11.45 लाख जनसंख्या को 1,31,983 घरेलू कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है। अन्य 48 योजनाएं जो कि प्रदेश के 29 जिलों में क्रियान्वित हो रही हैं, उनके पूर्ण होने पर 10294 ग्रामों की 109.26 लाख जनसंख्या को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय हो सकेगा।

- 3.1 नाबार्ड द्वारा RIDF अंतर्गत स्वीकृत 37 समूह जल प्रदाय योजनाओं में से 14 योजनाएं पूर्ण एवं 23 योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है।
- 3.2 बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज फेस-2 के अंतर्गत 03 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जाकर जल प्रदाय प्रारंभ किया गया है।
- 3.3 खनिज क्षेत्र विकास निधि/जिला माईनिंग अंतर्गत 07 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।
- 3.4 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/राज्य मद अंतर्गत 02 समूह जल प्रदाय योजनाओं में से 01 पूर्ण एवं 01 योजना का कार्य प्रगतिरत है।
- 3.5 बाह्य वित्तीय सहायतित परियोजना अन्तर्गत न्यू डेव्लपमेन्ट बैंक से 09 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।
- 3.6 'जल जीवन मिशन' के तहत 10 समूह जलप्रदाय योजनाएं लागत रु. 6111 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 09 समूह जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश जारी किये गये हैं। शेष 01 योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- 3.7 जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्यमद एवं अन्य मदों से प्रगतिरत 39 योजनाओं के अन्तः-ग्राम अवयवों के कार्य, अनुमानित लागत रु. 2661.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये सभी कार्य प्रगति पर हैं।

4.1 योजनाओं का संचालन-संधारण

- योजनाओं का संचालन एवं संधारण का कार्य ग्राम स्तरीय टंकी तक निर्माण एजेन्सी द्वारा 10 वर्ष तक किया जा रहा है।
- ग्राम के अन्दर जल वितरण का कार्य, बिल वितरण एवं राजस्व वसूली का कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल के राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर, 2020 में प्रकाशित, 'मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (ग्रामीण जलप्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन) नियम, 2020' के अनुसार पेयजल उप-समिति द्वारा किया जा रहा है।

5.1 प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ:

- समूह जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली ग्रामों के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों में समूह जल प्रदाय योजनाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता उत्पन्न करने हेतु ग्रामों में प्रचार-प्रसार एवं क्षमतावर्धन गतिविधियों का क्रियान्वयन जल सहायता संगठन के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है।
- क्रियान्वित की जा रही समूह जलप्रदाय योजनाओं के ग्रामों में 'मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (ग्रामीण जलप्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन) नियम, 2020' के अनुसार पेयजल उप-समितियों का गठन किया जा रहा है।

5. भाग – पाँच

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. न्यायालयीन प्रकरण :—

दिनांक 31.12.2020 तक विभाग से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्रमांक	न्यायालय	31.12.2019 की स्थिति में प्रकरणों की संख्या
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	47
2	माननीय उच्च न्यायालय	1430
3	माननीय माध्यस्थ अभिकरण	16
4	माननीय औद्योगिक न्यायालय	69
5	माननीय दावा अभिकरण	00
6	माननीय जिला न्यायालय	175
7	माननीय श्रम न्यायालय	417
	कुल योग	2154

2. स्थानान्तरण प्रकरण :—

दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि में विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं स्वयं के व्यय पर किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण का विवरण निम्नानुसार है :—

श्रेणी	कुल स्थानान्तरण
प्रथम श्रेणी	13
द्वितीय श्रेणी	14
तृतीय श्रेणी	18
चतुर्थ श्रेणी	02

3. विभागीय पदोन्नतियां :—

वर्ष 2020-21 में एक अधीक्षण यंत्री (सिविल) से मुख्य अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नत हुए हैं।

4. विभागीय जाँच प्रकरण :—

दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 की अवधि में लम्बित विभागीय जाँच प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:—

- प्रथम श्रेणी के 04 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 01 एवं 03 विभागीय अनुशंसा पर)।
- द्वितीय श्रेणी के 02 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है।

- तृतीय श्रेणी संवर्ग में 04 पर विभागीय जॉच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 01 एवं विभाग स्तर पर संस्थित 03 विभागीय जॉच)
- दिनांक 1.4.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि में कोई अधिकारी / कर्मचारी निलम्बित नहीं हैं।

5. नियुक्तियाँ :-

वर्ष 2020-21 में कोई भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

6. सूचना का अधिकार :-

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 की धारा 5 (1) एवं धारा 5 (2) के अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम को सुचारु रूप से लागू करने के लिये विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त हैं :-

कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1. शासन स्तर पर	अवर सचिव (स्था.) अवर सचिव (तक.)	— —	उप सचिव (तक.) उप सचिव (स्था.)
2. प्रमुख अभियंता कार्यालय स्तर पर	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (आहरण एवं संवितरण अधिकारी उपलब्ध न होने पर प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित कार्यपालन यंत्री)	अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
3. परिक्षेत्र स्तर पर	मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन यंत्री (मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित)	लेखा अधिकारी (लेखा अधिकारी पदस्थ न होने पर मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित सहायक यंत्री)	परिक्षेत्र कार्यालय में पदस्थ अधीक्षण यंत्री
4. मंडल कार्यालय स्तर पर	कार्यपालन यंत्री अथवा अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित सहायक यंत्री	मंडल अधीक्षक (मंडल अधीक्षक उपलब्ध न होने पर अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित कर्मचारी)	मंडल के अधीक्षण यंत्री
5. जिला/खंड कार्यालय स्तर पर	संबंधित खंड के कार्यपालन यंत्री	संभागीय लेखापाल	संबंधित मंडल में पदस्थ अधीक्षण यंत्री
6. उपखंड स्तर पर	सहायक यंत्री	उपयंत्री (मुख्यालय में पदस्थ एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा नामांकित)	कार्यपालन यंत्री (सम्बन्धित खंड कार्यालय में पदस्थ)

सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में कुल 1916 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1752 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, शेष 164 आवेदन निराकरण हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

7. वर्ष 2020-21 में विधानसभा प्रश्नों आदि से सम्बन्धित कार्यों का विवरण:-

वर्ष 2020-21 में विधान सभा सत्रों की अवधि में माननीय विधायकों द्वारा पूछे गये विधान सभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं एवं स्थगन प्रस्तावों से संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विषय	विधान सभा सत्र मार्च-अप्रैल 2020		विधान सभा सत्र जुलाई 2020		विधान सभा सत्र सितम्बर 2020		विधान सभा सत्र दिसम्बर 2020	
		कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये	कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये	कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये	कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये
1	विधान सभा प्रश्न	152	152	36	36	25	25	40	40
2	शून्यकाल की सूचनाएँ	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ध्यानाकर्षण सूचनाएँ	0	0	0	0	0	0	4	4
4	स्थगन प्रस्ताव	0	0	0	0	0	0	0	0

6. भाग – छः अभिनव योजनायें

1. मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :-

विगत वर्षों से भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही थी किन्तु कालान्तर में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों हेतु धनराशि में कमी किए जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा किये जा रहे पेयजल कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इस कमी की पूर्ति हेतु राज्य शासन द्वारा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये “राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम” प्रारम्भ किया गया है जिसका शत-प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु कार्यों का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न पेयजल योजनाओं के माध्यम से बसाहटों का आच्छादन किया जाता है ताकि समुचित पेयजल व्यवस्था हेतु कार्य किये जा सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन नलजल योजना, नवीन हैण्डपंप स्थापना सहित समूह नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण भी किया जा रहा है।

2 मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना का क्रियान्वयन :-

प्रदेश में योजनाबद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र में नलजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा वर्ष 2017-18 से “मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना” के क्रियान्वयन किया जा रहा था, इनमें से अधिकांश योजनाएं पूर्ण की जाकर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में नल जल योजनाओं के कार्य जल जीवन मिशन के अन्तर्गत किए जा रहे हैं।

3. स्वजल कार्यक्रम (समुदाय आधारित पेयजल योजना) :-

ग्रामीण पेयजल के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फरवरी 2018 में भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, द्वारा स्वजल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। स्वजल कार्यक्रम को मांग के आधार पर (Community Driven), मध्यप्रदेश के 8 आकांछी जिलों यथा- बड़वानी, छतरपुर, दमोह, गुना, खण्डवा, राजगढ़, सिंगरौली, विदिशा के कुल 50 विकासखण्डों में क्रियान्वित किया जाना था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्वजल कार्यक्रम की समस्त गतिविधियाँ जल जीवन मिशन कार्यक्रम में समाहित किए जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था के कार्य किये जा रहे हैं।

4. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (आम-जन की समस्याओं का निराकरण) :-

आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत विभाग की योजनाओं/कर्मचारियों से संबंधित शिकायतें दर्ज की जाती हैं। शिकायतों का निराकरण निर्धारित समयावधि में कराये जाने का कार्य विभाग द्वारा प्राथमिकता से किया जाता है। वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक विभाग को सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से कुल 122616 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 110196 शिकायतों का संतुष्टि पूर्ण निराकरण कराया जा चुका है।

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा जारी विभागों की मासिक ग्रेडिंग में सीएम हेल्पलाइन के अन्तर्गत विभाग वर्ष 2020-21 में निरंतर प्रथम स्थान के साथ “ए” ग्रेड प्राप्त किया है।

5. राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन :—

लक्ष्य :—

‘जल जीवन मिशन’ सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका लक्ष्य सभी घरों तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि स्थानीय जल संसाधनों के सर्वांगीण प्रबंधन को बढ़ावा देना भी है। इस जल आपूर्ति कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते समय जल-स्रोतों का संरक्षण करके उन्हें सतत बनाने और जल के पुनः उपयोग की विधियों का प्रयोग करने जैसे उपायों की जरूरत पर ध्यान दिया गया है और इन्हें पहली बार योजना की रूप-रेखा का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त, 2019 को लाल किले की प्राचीर से ‘जल’ को देश की विकास-कार्यसूची के केन्द्र में स्थापित कर दिया है। उन्होंने ग्रामीण भारत में महिलाओं और बेटियों द्वारा प्रतिदिन मीलों पैदल चलकर पीने योग्य थोड़ा बहुत जल ढोकर लाने की शताब्दियों पुरानी प्रथा को दूर करने पर बल दिया। इस चुनौती को हल करने के लिये उन्होंने जल जीवन मिशन की घोषणा की।

जल एक बुनियादी आवश्यकता है। पेयजल की सुनिश्चित उपलब्धता की कमी का प्रतिकूल प्रभाव, परिवारों और स्थानीय समुदायों दोनों पर पड़ता है। घर में पेयजल की सुविधा न होने पर लोगों, विशेषकर महिलाओं और बेटियों को दूर-दूर से अपने घरों के लिए पानी लाने के लिए जाना पड़ता है और अपना समय व ऊर्जा नष्ट करने पर मजबूर होना पड़ता है। जल संकट की स्थिति में, सरकार/प्रशासन टैंकर, रेल मार्ग आदि के माध्यम से जल उपलब्ध कराने के लिए तात्कालिक उपाय करते हैं। इस सरकार ने जन-सामान्य के जीवन को आसान बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, इसलिए लोगों की अब यह स्वाभाविक अपेक्षा है कि सरकार उनके घरों में नल से जल पहुंचाएगी।



क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन :— ग्राम रतन पिपल्या, विकासखंड मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर



क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा पेयजल प्रदाय

जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है, वहां जल अंतरण, जल-शोधन तथा जल-वितरण की योजना बनानी होगी। जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाते समय प्रचालन एवं रख-रखाव के पहलू पर सर्वाधिक ध्यान देना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि जल आपूर्ति स्कीमों अपनी निर्धारित अवधि तक कार्य करती रहें। विशेषकर जल संकट-ग्रस्त इलाकों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक निवेश व्यर्थ न हो, जल स्रोतों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। जल गुणवत्ता प्रभावित गांवों में प्रदूषण नियंत्रण नवाचारों पर काम करना होगा। यह आवश्यक होगा कि ग्रामीण समुदायों की सक्रिय सहभागिता से जिला और ग्राम स्तरीय कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी। “बॉटम अप एप्रोच” के मंत्र का पालन करते हुए राज्यों को, लक्ष्य एवं निर्धारित समय-सीमा तय करते हुए, वार्षिक कार्य योजना तथा पंचवर्षीय ‘राज्य कार्य योजना’ तैयार करनी होगी तथा मिशन-मोड में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करना होगा तथा शत-प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से वर्ष 2024 तक पेयजल उपलब्ध कराना।



क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन : ग्राम खरोन, विकासखण्ड पलेरा जिला टीकमगढ़



क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन :- ग्राम धौराना, विकासखण्ड राघोगढ़, जिला टीकमगढ़

- **समुदाय की भागीदारी :-**

मिशन के अंतर्गत ग्राम के अंदर प्रस्तावित कार्य की लागत का 5% अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों द्वारा एवं 10% अन्य ग्रामों द्वारा जनसहयोग Cash and / or Kind and / or labour के रूप में लिया जायेगा।

- **संस्थागत ढाँचा :-**

- राष्ट्रीय जल जीवन मिशन – राष्ट्रीय स्तर पर
- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन – राज्य स्तर पर (मुख्य सचिव की अध्यक्षता)
- जिला जल एवं स्वच्छता मिशन – जिला स्तर पर (कलेक्टर की अध्यक्षता)
- ग्राम पंचायत एवं / अथवा उपसमिति – ग्राम स्तर पर

- **क्रियान्वयन :-**

- ग्राम सभा द्वारा यह निर्धारित किया जायेगा कि नलजल योजनाओं के कार्यों की प्लानिंग, निर्माण, प्रबंधन एवं संचालन-संधारण के दायित्व का निर्धारण ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायत की उपसमिति यथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति / पानी समिति / हितग्राही समूह में से किसके द्वारा किया जायेगा।



जल शोधन संयंत्र- आवर्धन जल प्रदाय योजना ग्राम अमझोरा,
विकासखण्ड सरदारपुर, जिला धार

- उपसमिति का कार्यकाल सामान्यतः 02-03 वर्ष का होगा तथा ग्राम सभा, जल जीवन मिशन के कार्यकाल में इस समिति को पुनर्गठित भी कर सकेगी।



जल शोधन संयंत्र- आवर्धन जल प्रदाय योजना ग्राम अमझोरा,
विकासखण्ड सरदारपुर, जिला धार



इन्टेक वेल— आवर्धन जल प्रदाय योजना ग्राम अमझोरा, विकासखण्ड सरदारपुर, जिला धार

- उपसमिति का कार्यकाल सामान्यतः 02–03 वर्ष का होगा तथा ग्राम सभा, जल जीवन मिशन के कार्यकाल में इस समिति को पुनर्गठित भी कर सकेगी।
- ग्राम के अंदर की संरचनायें जैसे—भूजल स्ट्रोत, पाईप लाईन, टंकी, बिजली कनेक्शन, सम्पवेल, कैटल ट्रफ, वाशिंग—बाथिंग प्लेटफार्म, घरेलू कनेक्शन का कार्य ग्राम पंचायत/उपसमिति द्वारा कराया जायेगा।
- ग्राम स्तर पर योजना की प्लानिंग, क्रियान्वयन, प्रबंधन हेतु “इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी” राज्य जल मिशन द्वारा सूचीबद्ध की जायेगी, जो कि एन.जी.ओ./व्ही.ओ./महिला स्व सहायता समूह/सी.बी.ओ./ट्रस्ट/फाउन्डेशन हो सकते हैं।
- विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों एवं उनके द्वारा गठित उपसमितियों को सभी प्रकार का तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
- विभाग द्वारा नलजल योजनाओं की Drawing/Design, Estimate आदि तैयार किये जायेंगे।
- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कई एजेंसियाँ सूचीबद्ध की जायेंगी, जिनमें से पंचायत एवं उपसमिति द्वारा किसी एक का चयन कर कार्य कराया जायेगा। किये गये कार्य का निरीक्षण थर्ड पार्टी द्वारा किया जायेगा तथा किये गये कार्य के Measurement लेकर Running bill विभाग द्वारा तैयार किये जायेंगे।
- ग्राम पंचायत एवं पंचायत की उपसमिति कार्य करने में असमर्थ हों तो उन पंचायतों में विभाग द्वारा ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत कार्य कराया जा सकेगा किन्तु योजना के प्रबंधन एवं संचालन—संधारण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उसकी उपसमिति की ही होगी।
- समूह नलजल योजनाओं के प्रकरण में ग्राम की टंकी/सम्पवेल तक पानी पहुंचाने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचना का कार्य विभाग द्वारा किया जा सकेगा तथा In-village संरचनाओं की प्लानिंग/निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत/उपसमिति द्वारा किया जायेगा।
- प्रस्तावित की जाने वाली नलजल योजनाओं की डी.पी.आर. में Source Sustainability/ Water Conservation/ Rain Water Harvesting/ Grey Water Management आदि के कार्य भी सम्मिलित

किये जाने होंगे, जिसके लिये पंचायत/उपसमिति द्वारा अन्य विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों से Convergence के माध्यम से राशि प्राप्त की जा सकेगी।

● **जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन :-**

- प्रदेश में योजनाबद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र में नलजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020-21 में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम नलजल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत कुल 7904 योजनाएं, लागत रुपये 4742.14 करोड़ की स्वीकृत की गई हैं। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से किए गए कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-
- दिनांक 01.04.2020 की स्थिति में प्रदेश में कुल 17.72 लाख एफएचटीसी थे। 10 माह की अल्प अवधि में वर्तमान तक 15.60 लाख नवीन एफएचटीसी प्रदान किये गये हैं।
- प्रदेश में दिनांक 15.08.2019 की स्थिति में कुल 12 प्रतिशत एफएचटीसी थे तथा दिनांक 22 फरवरी 2021 की स्थिति में एफएचटीसी का प्रतिशत 27 हो गया है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इस प्रतिशत को 36 प्रतिशत तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
- विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत युद्धस्तर पर किए जा रहे कार्यों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रांश की राशि चार में से तीन किश्तों की राशि रुपये 960 करोड़ प्राप्त कर ली गई है। चौथी किश्त रुपये 320 करोड़ माह मार्च 2021 के अंत तक प्राप्त करने हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गई है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में 25 लाख से अधिक एफएचटीसी के लक्ष्य वाले 7 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश उत्तरप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल) में उपलब्धि के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य तीसरे स्थान पर है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में 25 लाख से अधिक एफएचटीसी के लक्ष्य वाले 7 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश उत्तरप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल) को भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि की किश्तों के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर है।
- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास के एफएचटीसी के लक्ष्यों के विरुद्ध 100 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गई।



जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वच्छता पखवाड़े के दौरान मान. राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्वच्छता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया



क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन :- ग्राम सिन्दुरिया, विकासखण्ड सरदारपुर, जिला धार



क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन :- ग्राम सिन्दुरिया, विकासखण्ड सरदारपुर, जिला धार

6. जल निगम :-

- नर्मदा के जल का उपयोग ।
- नदियों, डैम से पेयजल हेतु जल का आरक्षण ।
- सभी जिलों में तकनीकी साध्यता परीक्षण के आधार पर सतही स्रोतों पर आधारित समूह जलप्रदाय योजनाओं की डी. पी. आर. बनाने का कार्य ।
- समूह योजनाओं के माध्यम से शहरों एवं गाँवों की दीर्घकालिक पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत बल्क वाटर उपलब्ध कराना ।



उच्च स्तरीय पेयजल टंकी ग्राम सेमलिया
रानी विकासखंड सीतामऊ जिला मन्दसौर

उच्च स्तरीय पेयजल टंकी ग्राम लोध
विकासखंड मन्दसौर जिला मन्दसौर



उच्च स्तरीय पेयजल टंकी ग्राम लिखदी, विकासखंड आमला जिला बैतूल

भाग – सात

विभागीय प्रकाशन से सम्बन्धित जानकारी

विभाग द्वारा पेयजल स्रोतों के समीप साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल के उपयोग तथा उसके लाभ, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित सामग्री का प्रकाशन समय-समय पर किया जाता है, जिसे विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शित किया जाता है। जिला एवं उपखण्ड स्तर पर भी ऐसी कार्यवाही सतत् रूप से की जाती है।

भाग – आठ

सारांश

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका जारी की गई है। जिसमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था हेतु सुरक्षित पेयजल स्रोत उपलब्ध कराया जाना तय किया गया है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के कार्य किए जा रहे हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश योजनाएं भूगर्भीय जल स्रोतों पर आधारित हैं किंतु भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूगर्भीय जल की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है। ग्रीष्मकाल में अनेकों क्षेत्रों में नलकूपों में जल स्तर नीचे जाने के कारण पानी की कमी की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए पेयजल के भूजल स्रोतों के संवर्धन एवं वर्षा जल से पुनर्भरण संबंधी कार्य भी विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। इसी प्रकार, कठिनाई वाले क्षेत्रों में, जहां भूगर्भीय जल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, उन क्षेत्रों में व्यवहार्यता के आधार पर, सतही स्रोतों पर आधारित समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रारम्भ किया गया है तथा जल शुद्धिकरण के उपरान्त जल वितरण प्रणाली के माध्यम से ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों पेयजल व्यवस्था हेतु योजनाएं तैयार कर क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर स्थानीय व्यक्तियों को पेयजल गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण भी दिये जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत फील्ड टेस्ट किट्स प्रत्येक पंचायत को उपलब्ध कराए गये हैं एवं पंचायत स्तर पर ही पेयजल के सभी स्रोतों की गुणवत्ता के परीक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी विभागीय उपखंडों में उपखण्ड स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं जिससे पेयजल गुणवत्ता परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

इस प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सतत् प्रयत्नशील है।



मान. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री एवं मान. श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रदेश में किए जा रहे जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा



मान. श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री जी द्वारा प्रदेश में चलाए गए स्वच्छता पखवाड़े के दौरान किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण



प्रदेश में स्थापित जिला पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाओं की एन.ए.बी.एल. मान्यता पर उन्मुखीकरण कार्यशाला— जल भवन भोपाल



मान. श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा VWSC प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रामीण जनों से चर्चा करते हुए

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश